

कार्यवाही विवरण

मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-चिराईपानी, ग्रामपंचायत-लाखा, तहसील व जिला-रायगढ़ (छ.ग.) Steel Plant-DRI Kiln (Sponge Iron from-1,15,000 TPA to 3,46,500 TPA) Induction Furnace with matching LRF & CCM (MS Billets/Ingots from-30,000 TPA to 3,46,800 TPA), Rolling Mill with hot charging (Rolled Products-30,000 TPA to 2,90,000 TPA), New Conventional Rolling Mill with LDO (Rolled Product-30,000 TPA), New Ferro Alloy Unit with 2x18 MVA Submerged Electric Arc Furnaces for manufacturing (FeMn-90,000 TPA/SiMn-60,000 TPA/FeCr-60,000 TPA/FeSi-30,000 TPA/Pig Iron-90,000 TPA/Cast Iron-90,000 TPA), WHRB Based Power Plant [from 12 MW to 34 MW], CFBC Based Power Plant [from 4.9 MW to 29.9 MW], & New Fly Ash Brick manufacturing unit (38,000 Bricks/day) की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 15 दिसम्बर 2021 का कार्यवाही विवरण :-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार, मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-चिराईपानी, ग्रामपंचायत-लाखा, तहसील व जिला-रायगढ़ (छ.ग.) Steel Plant-DRI Kiln (Sponge Iron from-1,15,000 TPA to 3,46,500 TPA) Induction Furnace with matching LRF & CCM (MS Billets/Ingots from-30,000 TPA to 3,46,800 TPA), Rolling Mill with hot charging (Rolled Products-30,000 TPA to 2,90,000 TPA), New Conventional Rolling Mill with LDO (Rolled Product-30,000 TPA), New Ferro Alloy Unit with 2x18 MVA Submerged Electric Arc Furnaces for manufacturing (FeMn-90,000 TPA/SiMn-60,000 TPA/FeCr-60,000 TPA/FeSi-30,000 TPA/Pig Iron-90,000 TPA/Cast Iron-90,000 TPA), WHRB Based Power Plant [from 12 MW to 34 MW], CFBC Based Power Plant [from 4.9 MW to 29.9 MW], & New Fly Ash Brick manufacturing unit (38,000 Bricks/day) की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 15.12.2021, दिन-बुधवार, समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान-बंजारी मंदिर के समीप का मैदान, ग्राम-तराईमाल, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़, की अध्यक्षता में लोकसुनवाई प्रातः 11:00 बजे प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ़ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रभावित परिवारों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणजनों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक, जन प्रतिनिधि तथा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मिडिया के लोगो का स्वागत करते हुये जन सुनवाई के संबंध में आम जनता को संक्षिप्त में जानकारी देने हेतु क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी को निर्देशित किया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के

प्रावधानों की जानकारी दी गयी, साथ ही कोविड 19 के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 30.09.2020 के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, हेण्डवाश अथवा सेनेटाईजर का उपयोग किये जाने, मास्क पहनने एवं थर्मल स्केनिंग किये जाने की जानकारी दी गई। पीठासीन अधिकारी द्वारा कंपनी के प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार को प्रोजेक्ट की जानकारी, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, रोकथाम के उपाय तथा आवश्यक मुद्दों से आम जनता को विस्तार से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सुनवाई में कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना के प्रस्तुतिकरण से प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम मैं निशांत खेतान, सुनील इस्पात एण्ड पॉवर प्रायवेट लिमिटेड, की ओर से माननीय अपर कलेक्टर महोदय, क्षेत्रीय अधिकारी, सी.एस.पी. महोदय एवं अन्य अधिकारीगण तथा पुलिस प्रशासन का और साथ ही उपस्थित जनता का मैं इस लोकसुनवाई में स्वागत करता हूँ। वर्तमान में हमारे द्वारा ग्राम चिराईपानी पंचायत लाखा, तहसील एवं जिला रायगढ़ (छ.ग.) में स्पंज आयरन उत्पादन इकाई (क्षमता = 115000 टन/वर्ष) का संचालन किया जा रहा है। इस हेतु संचालन सम्मति की वैधता दिनांक 26.02.2022 तक है। इसके साथ ही क्षमता 30,000 टन/वर्ष, हॉट चार्ज्ड रोलिंग मिल इकाई की क्षमता 30,000 टन/वर्ष, वेस्ट हीट रिकवरी आधारित विद्युत उत्पादन इकाई की क्षमता 12 मेगावॉट हेतु स्थापना सम्मति प्राप्त की गई है। तथा स्थापना कार्य प्रगति पर है। अब हमारे द्वारा इकाई का क्षमता विस्तार प्रस्तावित है, जिसमें स्पंज आयरन उत्पादन इकाई की उत्पादन क्षमता 115000 टन/वर्ष से बढ़ाकर 346500 टन/वर्ष, इण्डक्शन फर्नेस इकाई क्षमता 30,000 टन/वर्ष से बढ़ाकर 346800 टन/वर्ष, हॉट चार्ज्ड रोलिंग मिल इकाई की क्षमता 30,000 टन/वर्ष से बढ़ाकर 290,000 टन/वर्ष, नई एल.डी.ओ. ईंधन आधारित पारंपरिक रोलिंग मिल क्षमता 30,000 टन/वर्ष, फेरो एलॉय उत्पादन जिसमें (फैरो मैंगनीज = 90,000 टन/वर्ष, फेरो सिलिकॉन = 30,000 टन/वर्ष, पिग आयरन = 90,000 टन/वर्ष, कास्ट आयरन = 90,000 टन/वर्ष) 18 एम. व्ही.ए. की दो सबर्ज इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेस, वेस्ट हीट रिकवरी आधारित विद्युत उत्पादन इकाई की क्षमता 12 मेगावाट से बढ़ाकर 34 मेगावॉट एफ.बी.सी. आधारित विद्युत उत्पादन इकाई की क्षमता 4.9 मेगावॉट से बढ़ाकर 29.9 मेगावॉट तथा नई फ्लाइंग ऐश आधारित ईट उत्पादन इकाई क्षमता 38000 नग /दिन की स्थापना प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना की स्थापना हेतु 21.57 हेक्टेयर (53.32 कड़) भूमि उपलब्ध है तथा प्रस्तावित क्षमता विस्तार विद्यमान परिसर में ही किया जावेगा। प्रस्तावित परियोजना के लिये वर्तमान पर्यावरण नियमानुसार हमारे द्वारा केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है इसी तारतम्य में यह लोक सुनवाई आयोजित की गई है। वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु हमारे द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रस्तावित डब्ल्यू. एच. आर. बी. युक्त डी.आर.आईकृत्तिलों में इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इण्डक्शन फर्नेस में बैग फिल्टर युक्त डस्ट एक्सट्रेक्सन प्रणाली, रोलिंग मिल में उपयुक्त उंचाई की चिमनी, सबतर्ज इलैक्ट्रिक फर्नेस में बैग फिल्टर युक्त डस्ट एक्सट्रेक्सन प्रणाली तथा एफ.बी.सी. बॉयलर में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का लगाया जाना प्रस्तावित है। सभी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की दक्षता

पार्टीकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 30 मिलीग्राम/सामान्य घन मीटर से कम के अनुरूप होगी। जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु 1346 घन मीटर/दिन जल की आवश्यकता होगी जिसे केलो नदी से आरण किया जावेगा। इस आशय में आवेदन जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन में प्रक्रियाधीन है। प्रस्तावित डी.आर.आई. किल्न, इंडक्शन फर्नेस तथा रोलिंग मिल में क्लोज्ड-सर्किट कूलिंग सिस्टम का परिपालन किया जावेगा, जिसके कारण किसी प्रकार का दूषित जल उत्सर्जन नहीं होगा। प्रस्तावित विद्युत उत्पादन संयंत्र से उत्पन्न निस्त्राव को ई.टी.पी. में उपचारित किया जावेगा तथा परिसर में ही पुनर्उपयोग किया जावेगा तथा विद्युत उत्पादन इकाई में जल की खपत को कम करने हेतु एयर कूल्ड कंडेन्सर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा उपचारित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना के बाद शून्य निस्तारण की स्थिति बनाई रखी जावेगी। जिससे आस-पास के पर्यावरण पर दूषित जल का नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। परिसर में लगभग 19.50 एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है तथा लगभग 14000 नग वृक्ष रोपित किये गये हैं तथा इसे और सघन किया जाना प्रस्तावित है। हमारे द्वारा प्रस्तावित परियोजना में रोजगार हेतु स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जावेगी। सामाजिक दायित्व के निर्वहन नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार किया जावेगा। प्रस्तावित परियोजना में प्रदूषण की रोकथाम हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा सुझाये गये सभी उपयों को अपनाया जायेगा जिसमें परियोजना द्वारा निकटस्थ क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव नहीं होंगे। अंत में प्रस्तावित परियोजना के लिये उपस्थित जनता से सहयोग की अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद!

तदोपरांत पीठासीन अधिकारी द्वारा परियोजना से प्रभावित ग्रामीणजनों/परिवार, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधियों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारियों, समुदायिक संस्थानों, पत्रकारगणों तथा जन सामान्य से अनुरोध किया कि वे परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव, जनहित से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर अपना सुझाव, विचार, आपत्तियां अन्य कोई तथ्य लिखित या मौखिक में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है। यहा सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई जा रही है।

आपके द्वारा रखे गये तथ्यों, वक्तव्यों/बातों के अभिलेखन की कार्यवाही की जायेगी जिसे अंत में पढ़कर सुनाया जायेगा तथा आपसे प्राप्त सुझाव, आपत्ति तथा ज्वलंत मुद्दों पर प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार द्वारा बिन्दुवार तथ्यात्मक स्पष्टीकरण भी दिया जायेगा। सम्पूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी, पुनः अनुरोध किया कि आप जो भी विचार, सुझाव, आपत्ति रखे संक्षिप्त, सारगर्भित तथा तथ्यात्मक रखें ताकि सभी कोई सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिले तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने का अनुरोध किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 1000-1100 लोगों का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 149 लोगों ने हस्ताक्षर किये। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जो निम्नानुसार है -
सर्व श्रीमती/सुश्री/श्री -

1. जगजीवन राम मिंज – मैं मेसर्स सुनील इस्पात में काम करता हूँ यहा पाल्युशन कंट्रोल करके रखा जाता है बैग फिल्टर लगा हुआ है मुझे 01 साल 03 महीने हो गया है हम लोग वहां काम कर रहे हैं सर वहां पाल्युशन तो है नहीं क्योंकि बैग फिल्टर सभी एरिया में लगाये हुये हैं, आई.बी.न. भी लगाये गये है सभी खुश है यहा पर बस सर इतना ही।
2. के.के. पटेल, तराईमाल – मैं मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का विरोध करता हूँ क्योंकि हमारे क्षेत्र में प्रदुषण भरा हुआ है इसके कारण हमारे जितने उद्योग से हमें तकलीफ हो रहा है इसलिये आपसे निवदेन करता हूँ कि सुनिल इस्पात का विरोध किया जाये और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग विरोध करें।
3. कौशिक प्रसाद मालाकार, बड़गांव, – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
4. कन्हैयालाल प्रधान, रायगढ़ – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
5. सत्येन्द्र सिंह, घरघोड़ा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
6. लालधन, रायगढ़ – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
7. बलराम सिंह, तराईमाल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का विरोध है।
8. दौलत राम, तराईमाल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का विरोध है।
9. अभिषेक कुमार राठिया, देलारी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
10. दिनदयाल, गोरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
11. प्रकाश कुमार, उज्जवलपुर – मैं कोरोनाकाल के समय की बाते करना चाहता हूँ। जब पूरे भारत में पूरे विश्व कोरोना काल आया था। तब पूरा देश विश्व बंद था। कोई भूखा पेट नहीं सोया। इन कंपनियों वालों ने पूरा समर्थन करते हुये हमें काम पे रखा हमें प्रोत्साहन देते हुये हमारे काम के बदले हमें फल दिया। हमारे छत्तीसगढ़ में लोग घर बनाते हैं तो बाड़ी जरूर बनाते हैं उसमें खेती बाड़ी करते हैं सब के घरमें प्रायः खेती बाड़ी करते हैं। बाहर के आदमी नहीं आयेंगे तो हम दुकान व मार्केट खोल के क्या करेंगे। उसी बात को बोलने के लिये सामने में खड़ा हूँ। ज्यादा तो नहीं बोलूंगा सर मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन करना चाहता हूँ। मेरे जैसे और भी लोग है लेकिन उन्हे आने नहीं दिया जा रहा है, जब लोगो का मन है तो उनको क्यों नहीं आने नहीं दिया जा रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें क्यों रोका जा रहा है सर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिये। मैं ग्रेजुएट हूँ तो मैं प्लांट में जाऊंगा तो मुझे नौकरी देंगे। लोगो का मन है तो उनको क्यों नहीं आने नहीं दिया जा रहा है सर। मेरे सहपाठियों को सम्मान से यहां लाया जाये। चाहे वह समर्थन करें या विरोध उन्हे यहां लाया जाये। सर अधिकतर काम में एक हफ्ते भर में पेमेंट आता है मान लीजिये बीच में कोरोना काल आ गया और प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दिया कि भारत बंद का और बंद होने से पहले पेमेंट दे दिया फिर ईतवार आ गया। प्रशासन के व्यक्ति आये और

बोले कौन कौन बाहर का है जो घर नहीं जा पा रहा है मेरा राशन का दुकान है और भी राशन का दुकान हैं उनको दो भाग में बांटकर राशन वितरण किया गया। कंपनी द्वारा राशन वितरण किया हम भी तो राशन खरीद कर लाते हैं सर जब कोटमवार से पूछा कि कैसे कौन देगा तो सरपंच से पूछ लीजिये कहा गया। प्रशासन ने कैसे नहीं दिये ठेकेदार ने कैसे नहीं दिये जबकि कंपनी वाले ने कैसे दिये। यही सच्ची सेवा है सर एक हप्ते काम नहीं किये थे फिर भी पैसा दिये थे। इसी कारण मैं सुनिल इस्पात को समर्थन करता हूँ और मेरे सहपाठियों को आने दिया जाये। धन्यवाद।

12. सोनु सामंत, चिराईपानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
13. बसंत, पिठाआमा, जशपुर – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
14. निर्मल पटेल, तराईमाल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
15. उमेश जोल्हे, तराईमाल – कोई भी काम करते हैं तो पैसा नहीं मिलता है, ठेकेदार पैसा नहीं दे रहा है और बोलता है कि बाद में दुंगा, और बाद में नहीं देता है 02-03 हप्ते का हमें पेमेंट नहीं पाये हैं। मैं एक मिस्त्री हूँ। बस धन्यवाद।
16. शालिनी, रायगढ़ – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
17. आकाश, उज्जवलपुर – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
18. राकेश कुमार सिदार, उज्जवलपुर – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
19. बहति सिंह, पिठाआमा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
20. ओमप्रकाश, शक्ति – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
21. बहादुर सिंह, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
22. संजु, तराईमाल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
23. रविनानंद, रायगढ़ – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
24. सुशांत, रायगढ़ – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
25. अमृत, तराईमाल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
26. तपेश्वर, रायगढ़ – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
27. सुभाष, रायगढ़ – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
28. उमाकांत, रायगढ़ – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
29. नंदलाल, रायगढ़ – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
30. डमरूधर, उज्जवलपुर – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
31. निशांत कुमार, रायगढ़ – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
32. राजाराम, उज्जवलपुर – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

149. सुष्मा, लाखा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
150. निला, लाखा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
151. मंजू, लाखा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
152. सरोजनी, लाखा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
153. कुमारी, लाखा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है। मैं यह कहना चाहती हूँ यह पहले भी हुआ है कि अभी हो रहा है। पहले भी हुआ है पहले समर्थन हुआ था तो कुछ नहीं हुआ लेकिन आज विरोध कर रहे हैं तो विरोध में क्या मिल रहा है हम लोग को क्या मिला। डस्ट रूकना चाहिये, न मुझे विरोध वाले लाये हैं न समर्थन वाले मैं अपने खर्च पर आई हुई हूँ। ये लोग विरोध करके कुछ नहीं कर पायेंगे। लेकिन ये लोग साहब को सरका बोलें कि डस्ट को कंट्रोल करें डस्ट नहीं आना चाहिये, ये कहना चाहिये कि हमें काम दो। मैं मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
154. सरिता, लाखा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
155. द्रौपती, लाखा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
156. ललिता, लाखा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
157. फुलबाई, लाखा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
158. सागर, उज्जवलपुर – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
159. भरत, लाखा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
160. तेजराम, लाखा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
161. जागेश्वर, लाखा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
162. प्रताप, उज्जवलपुर – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
163. गुरमित, उज्जवलपुर – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
164. देवप्रसाद, उज्जवलपुर – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
165. संतराम – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
166. भागी, लाखा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
167. राजाराम, उज्जवलपुर – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
168. संतराम, तराईमाल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
169. बोनी, – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
170. भगवान, तराईमाल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
171. राधे, लाखा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
172. कान्हा, लाखा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

202. वृदाबाई, लाखा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
203. राजेन्द्र, – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
204. भोजराम, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
205. परशुराम, – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
206. नरेश, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
207. उमेश, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
208. रामप्रसाद, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
209. पुनीराम, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
210. तुलसीराम, –
211. गितेश – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
212. ललित – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
213. शिव – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
214. संतोष, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
215. रवि – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
216. आशीष – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
217. अमृतलाल, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
218. ममला, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
219. वृदा, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
220. चंद्रिका, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
221. जयकुमारी, लाखा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
222. यशोदा, लाखा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
223. रंभा, लाखा – कोयला को बंद करें।
224. भोजकुमारी, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
225. विनोद, लाखा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
226. अशोक, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
227. मुरारी, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
228. तिलकराम – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
229. रन्तुराम, तराईमाल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
230. नेतराम, – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

260. मिरा, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
261. कवरमती – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
262. श्यामा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
263. रिंकी, – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
264. रोशनी, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
265. सीमा, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
266. विणा, – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
267. सुनिता, तराईमाल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
268. सुरेखा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
269. उपास, चिराईपानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
270. रंगवति – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
271. किरण, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
272. गुरुवारी, चिराईपानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
273. गोमती – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
274. पुसाई – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
275. फुलबाई, चिराईपानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
276. रामेश्वरी, चिराईपानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
277. शांति, चिराईपानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
278. रूखनी –
279. जलंधर – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
280. अमित – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
281. रवि – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
282. फागुलाल – सुनील इस्पात में हम लोग को काम वाम मिले इसका आप लोग बता दें।
283. विनय, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
284. मोदी सिंह, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
285. राहुल, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
286. सुनील – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
287. दशरथ – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
288. त्रिनाथ, – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

347. सावंत – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
348. मनोज – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
349. राजू – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
350. आकाश – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
351. विक्की – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
352. श्याम – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
353. दिनेश – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
354. अवध – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
355. रामलाल, भैसगड़ी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
356. पुरुषोत्तम, – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
357. मोतीलाल, – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
358. खगेश्वर, तराईमाल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
359. बोधराम – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का विरोध है।
360. सपना, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
361. प्रिया, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
362. मनीषा –
363. सुशीला – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
364. रूखमती – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
365. सोनी बाई, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
366. फुलकुंवर – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
367. पुष्पा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
368. मोती – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
369. देवकी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
370. रंजना – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
371. पूजा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
372. कुमारी, चिराईपानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
373. रानी, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
374. दिलेश्वरी, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
375. भागवती – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

434. राजमोहन – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
435. प्रताप, चिराईपानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
436. प्रकाश, चिराईपानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
437. छोटु, चिराईपानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
438. मुकेश, चिराईपानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
439. गजानंद, चिराईपानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है। वहां पर हम लोग को रोजगार मिले इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगा हमारे लिये। इसलिये मैं मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन करता हूं।
440. शंकर, चिराईपानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
441. बजरंग, चिराईपानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
442. जगताराम, चिराईपानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
443. ललन, चिराईपानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
444. छगन, चिराईपानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
445. छेदुलाल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
446. आयुष – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
447. रोशन – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
448. रामदयाल, चिराईपानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
449. विपिन, चिराईपानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
450. मोहम्मद, रायगढ़ – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
451. सनी, – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
452. सुजित, – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
453. मोहन, – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
454. राजेश, – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
455. संजय, चिराईपानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
456. विनोद – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
457. रहमत, तराईमाल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
458. मनोज, – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
459. इंद्रकुमार, तराईमाल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
460. गौतम, – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

461. रमेश – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
462. अलक – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
463. सुनील – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
464. गोविंद – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
465. राजेश – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
466. सुखदेव – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
467. कौशल, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
468. निलांबर – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
469. दिनदयाल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
470. प्रबल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
471. धरम सिंह – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
472. देवेन्द्र, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
473. पटेल कुमार, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
474. निलांबर – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
475. धनवार – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
476. लालकुमार, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
477. आनंद –
478. सजीत – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
479. धनी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
480. मकरध्वज – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
481. रामु, चिराईपानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
482. धनीराम, लाखा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
483. गणेश – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
484. कन्हैया – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
485. खड़िया, लाखा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
486. चानुराम, लाखा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
487. लालकिशोर – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
488. घुराउ – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
489. रत्थुराम, लैलूंगा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

490. सरोज – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का विरोध है।
491. दामोदर – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का विरोध है।
492. कमलेश – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का विरोध है।
493. गणेश – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का विरोध है।
494. राजू – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
495. सितेश – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
496. गोवर्धन – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का विरोध है।
497. दिलीप – आज जो लोक सुनवाई का आयोजन किया गया है वो क्या गलत तरीके से किया जा रहा है और किया गया है तो बाहर में इतना विरोध क्यों हो रहा है। दूसरा बात यहां जनता के विकास के लिये कोई भी कार्य पूर्ण रूप से नहीं किया जा रहा है। क्या यहां लोगों की स्थिति है उनके बारे में अवलोकन किया गया है। क्या उनके सुख दुख में सहयोग करने का आश्वासन किया गया है क्या उनके साथ बैठकर चर्चा किया गया है तो ये सब चीज को देखते हुये मेरा मन समर्थन करने का बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं पूर्ण रूप से मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड विरोध करता हूं क्योंकि वह हर कार्य को अनियत तरीके से कर रहा है जो मुझे स्वीकार नहीं है।
498. देवसिंह– मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
499. सतीश– मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
500. पंचूराम,पाली–विरोध।
501. विजय, पाली–विरोध।
502. निरंजन,पाली, विरोध
503. सुदर्शन –विरोध।
504. उपेन्द्र, पाली–विरोध
505. प्रेम, पाली–विरोध।
506. प्रेम जाटवर, – विरोध।
507. शंकर, – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
508. लहरे – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
509. नटवर – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
510. मीना – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
511. पदमा, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
512. रत्ना, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

513. सावित्री, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
514. समारी, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
515. सुरेखा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
516. यशोदा, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
517. रामबाई, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
518. बुधवती – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
519. फिरित बाई – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
520. सरोज, रायगढ़ –
521. गंगा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
522. सीता –
523. उर्मिला – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
524. सुशीला, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
525. टेंट बाई – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
526. प्रेम बाई – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
527. यादबाई – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
528. सेवती – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
529. पार्वती – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
530. दुखबाई – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
531. रामविलासीन – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
532. सीमा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
533. रूखनी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
534. त्रिवेणी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
535. पिंकी, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
536. संध्या – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
537. संतकुंवर – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
538. लक्ष्मी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
539. बलदेव, बंजारी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
540. मिणादास – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
541. परदेशी, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

542. उमेश – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
543. तिलक – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
544. जाटवर – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
545. अजय – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
546. पवन – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
547. गणेश – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
548. मनोज, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
549. पुनीराम, – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
550. उमेश – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
551. प्रखर – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
552. राजू – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
553. फागुलाल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
554. ज्योति – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
555. कमलेश्वरी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
556. मालती, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
557. सुनिता, तराईमाल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
558. सरिता – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
559. रथबाई, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
560. सरस्वती – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
561. रूकमणी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
562. कुमारी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
563. संत – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
564. पूजा, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
565. विमला –
566. बसंती, त्रिभौना – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
567. तिहारीन बाई – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
568. फुलबाई – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
569. सेना – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
570. कमला, रामभाठा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

658. जनपद – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
659. संदीप – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
660. नंदू – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
661. मनी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
662. हरिशंकर – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
663. रामनाथ, रायगढ़ – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
664. विनोद, रायगढ़ – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
665. मनोज – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
666. प्रितम – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
667. अवतार – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
668. हेमलाल – विरोध।
669. तयसिंह – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
670. दयाराम – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
671. भंजन – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
672. राकेश, तराईमाल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
673. चंद्रकुमार, रायगढ़ – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
674. दिलेश्वर – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
675. पदमा, तराईमाल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
676. रनीदेवी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
677. बसंती – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
678. कृष्णा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
679. तेजकुमारी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
680. सरीता, तराईमाल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
681. कौशिल्या – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
682. निर्मला, तराईमाल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
683. सुरुती – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
684. सावनमती – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
685. सुमति – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
686. अनुसुईया – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

687. उषा, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
688. रमशिला, – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
689. रामवति – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
690. शिल्पि – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
691. रूखमत – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
692. कमला – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
693. विद्या – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
694. तुला यादव – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
695. शिला – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
696. रत्ना, गेरवानी – हमारा रोड़ नहीं बन रहा है, सुनील इस्पात से रोड़ मांग रही हूं। हमारे वार्ड में कुछ नहीं बन रहा है सरपंच लोग गद्दारी कर रहे हैं। हमारे गांव में कुछ नहीं बन रहा है।
697. सुलोचना – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
698. मिनी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
699. संतोषी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
700. शारदा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
701. रत्ना – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
702. दीपा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
703. बिमलेश्वरी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
704. कंचन – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
705. सुखमती – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
706. किरण – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
707. दिया – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
708. भागवती – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
709. बिमला – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
710. निलम – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
711. कुसमेत – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
712. काशिल्या – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
713. ममता, तराईमाल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
714. बिमला, तराईमाल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

715. दामिनी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
716. रीता, तराईमाल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
717. कुंती, तराईमाल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
718. राजकुमारी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
719. निशु – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
720. कन्हैया – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
721. दुर्गा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
722. सरस्वती – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
723. फुलबाई – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
724. कमल बाई – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
725. अनुजा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
726. तरसिला – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
727. कुंती – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
728. किरण शर्मा – मेरे कुछ प्रश्न है कलेक्टर सर से। जनसुनवाई है तो हम सब की बात को सुना जाये।

युवाओं को नौकरी देना चाहिये। डस्ट में काम दे दें हैं। बाहर से आये लोग को अच्छे पोस्ट पर रख रहे है और तराईमाल के लोगों को जो इंजिनियरींग किये हैं उनको भी डस्ट में नौकरी करने के लिये दे रहे हैं। जब इतने बड़े- बड़े इण्डस्ट्री उनके बोर में नहीं सोच रहें तो आप लोग तो कम से कम हमारे बारे में सोचिये। हमारे माता-पिता आप हो आप तो ध्यान दीजिये। रोड में बहुत डस्ट उड़ रहा है। आदमी को जन्म भगवान दिया है। पहला और आखिरी पन्ना भगवान लिखता है लेकिन तीसरा पन्ना मनुष्य लिखता है उसको पूरा अधिकार है अपने हिसाब से जिंदगी जीने के लिये। हमारा आयु 50 से 35 वर्ष में खतम हो जा रहा है। कम से कम हमारे जनहित के बारे में तो सोचिये सर एक बार। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है सर युवाओं को नौकरी दिलवाईयें लड़की लोग बी.एस.सी. नर्सिंग करके बैठे हैं कंपनी में भी मेडिकल है वहां भी नौकरी नहीं मिल रहा है सर उनको ध्यान दीजिये सर। मैं रायगढ़ अच्छे पढ़े लिखे लड़को को लेकर आपके पास आऊंगी। वे लोग भी मदिरा पी रहें हैं यही हमारे छत्तीसगढ़ का उन्नति है सर मैं आपसे पूछना चाहती हूं। हमारे तराईमाल, गेरवानी, सामारुमा, पूंजीपथरा से देखिये रोड इतना खूंखार बन चूका है। प्रदूषण इतना है कि नही धोके हम निकलते है तो काला हो जाते हैं। प्रदूषण है इधर बीमारी है सब बोलते हैं लेकिन ये सब कहा से आ रहा है। प्लांट में आप गये हैं सर कम से कम वहां एक बार जाके तो देखिये सर वहां का माहौल किस प्रकार का है। सब महिला मेसर्स सुनिल इस्पात को समर्थन दे रहे हैं उनके बच्चों को भी अच्छे अच्छे पोस्ट पर नौकरी दी जाये। आप सिंघल, बी.एस. एन.आर.व्ही.एस. में देखिये तराईमाल में

07 फ़ैक्ट्री यदी फ़ैक्ट्री 01 कि.मी. का भी काम उठा दे तों हमारा तराईमाल जिला बन जायेगा और स्वस्थ जिंदगी जियेंगे आदमी लोग है यहा काला पानी पी रहे है हमारा जीने का अधिकार फिर कुछ भी नहीं है क्यो तड़पा तड़पा के मार रहे हैं एक बार में ही मार दीजिये। जो बारहवीं पढ़ लिख के बैठे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे काम के लिये हमें प्लांट जाना पड़ता है ये लोग ग्राम पंचायत क्यो नहीं आते। ग्राम पंचायत में आकर बोलते कि हमें स्कूल चाहिये, गरीब हो उनको सहयोग देना चाहिये ये सब छोटे छोटे काम करते तो जितने भी माताएँ आई है जो समर्थन देके गई है तो मैं बहुत खुश हो जाती। तो बच्चों को नौकरी दिया जाये। हम तो नेता लेकर आते है तो नौकरी दिया जाता है नहीं तो घूसने नहीं दिया जाता है। थोड़ इस बारे में ध्यान दीजिये सर हमारे गांव में बाहर के लोग आकर उन्नति कर रहे हैं जो सोने के चिड़िया थी वहां आज काला झण्डा लहराने को आ गया है। यहां प्रदूषण हो रहा है, छत में कोयला है, हम यहां काला पानी पी रहे हैं। जो पढकर कम्प्यूटर कर चुके है उनको नौकरी दीजिये। युवाओं को रोजगार दे देता 12000-13000 का तो गरीब के घर में चूल्हा जलता कि नहीं। कहां है मोदी सरकार छत्तीसगढ़ को क्यो नहीं देख रही मैं मोदी सरकार से सवाल जवाब करूंगी। छत्तीसगढ़ को सपना दिखाकर नये नये प्लांट बिठा दिये हैं और हमको आज देखा जाये तो हमारे लिये यहां क्या हो रहा है। गरीब मर रहा है तो मरने दो और दो लात मारो इस प्रकार का हाल है। अधिकारी को हमारे गांव भ्रमरण करकर पूछ तो सकते हैं कि किसके यहां के लड़के कितने पढ़े लिखे हैं किसको कितना काम चाहिये या नहीं ऐसी योजना क्यूं नहीं निकालते हैं सर। प्रदूषण इतना है कि घास तक नहीं है गाय प्लास्टिक खाकर मर जा रहे हैं पहले कहते थे घास खाकर बैल अच्छे होंगे, गौ हत्या बंद करो कहते हैं लेकिन गौ हत्या कहा बंद हुआ है गाय बैल को प्रदूषण से मार रहे हैं तों मंदिर बनाये या बनाने में सहयोग करें। कोई स्कूल, पानी, की व्यवस्था करें कोई किसी की सहायता करें कोई किसी की छोपड़ी बनाये। 07 प्लांट है एक एक काम कर देते तो भी 07 अच्छा काम हो जाता। आज युवा घूम रहे हैं उनको रोजगार देते तो नहीं करते क्या। लड़के लोग को काम देते नहीं आप भी खामोश हो के चले जाते हैं। मैं आज यहां नहीं आने वाली थी मुझे किसी प्लांट से दुशमनी नहीं है लेकिन लड़के लोग को काम तो दे। पढ़े लिखे लोगों को काम तो दें काम नहीं मिलने से वे मदिरा के सेवन कर रहे हैं। सर जब आप हमारे प्रतिनिधि मालिक हो आप ही हमारे बात को अनसुना कर दे रहे हो तो हमारा क्या होगा। हमारे जनहित के लिये आप यहा पर आये हैं। हर घर में पानी नहीं है कम से कम घर घर में नल तो लगवाईये। मां बंजारी से भी गद्दारी करते है कम से कम यहां एक डम्पर पानी मार देते तो यहां इस्ट नहीं उड़ता। मैं यहां सभी अधिकारियों को कह रही हूँ कि यहां पानी छिड़काव करवा देते तो इस्ट नहीं उड़ता। रोड में दारू पीने वाला और दारू नहीं पीने वाला दोनो मरेगा क्योकि रोड इस्ट से अंधेरा हो गया है। आपको हम अपने घर में रखते है देखना कितना इस्ट है कम से कम इस्ट को कम करने के लिये कोई मशीन का तो उपयोग करते। पूरा

परेशान है एक दिन के बाद दूसरा दिन कपड़ा खराब हो जाता है। हमारे बारे में साचिये सर मैं आपसे मिलने लड़को को लेकर आऊंगी सर उनको अच्छी अच्छी पोस्ट पर नौकरी दिलवाइयें सर। हमारे छत्तीसगढ़ में अच्छे प्लांट है लेकिन ये सहयोग कहां देते है समझ नहीं आता। अभी लेडिस आई समर्थन करने इस आशा से कि हमारे बच्चों को नौकरी मिल जायेगा प्लांट में तो 10 घर में चूल्हा तो जलेगा सर तो फिर क्यों सपोर्ट नहीं करते जनसुनवाई करने की जरूरत नहीं होती इसलिये भड़कते है मुझे बोलते है कि दीदी हमें तो काम मिलता नहीं कलेक्टर साहब भी मूर्ति की तरह बैठे रहते हैं जायें तो कहा जायें । आप तो जानते है तराईमाल, गेरवानी, समारूमा इधर कोई खेती तो है नही हम लोग लकड़ी व पत्ता बेचकर गुजारा करते थे तो ये सब तो बंद हो गया। 80 रूपये किलो में हम टमाटर नहीं खा सकते आप लोग के पास तो एक फोन में पहुंच जाता है तो इस बात पर दिलासा दीजिये कि इन्हे नौकारी मिलेगा क्या। कोई प्लांट से कोई दुशमनी नहीं है सबको नौकरी मिल जाये। धन्यवाद।

729. निर्मल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
730. बद्रीका, तराईमाल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
731. भोगीलाल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
732. शिवप्रसाद – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
733. खगेश्वर – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
734. अनिल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
735. राजू – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
736. सोनू – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
737. शिव – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
738. भैंसगड़ी-हम लोग गरीब है, नलवा हमे गोदनामा लिया है लेकिन कुछ नहीं किया है। हम हर फ़ैक्ट्री को समर्थन देते है, डूब जाये नहीं बोलते हैं। प्लांट को भी हमारे लिये कुछ न कुछ करना चाहिये कलेक्टर साहब से अनुरोध करना चाहता हूं। धन्यवाद।
739. गंगाधर – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
740. अजय, लाखा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
741. जलप्रसाद – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
742. रूपेश – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
743. श्यामसुंदर – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
744. मुकेश, गेरवानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

745. गजेन्द्र – मेरे मुद्दे है पहला प्रदूषण दूसरा इस मार्ग में होने वाले सड़क दुर्घटना और सड़क की जर्जर स्थिति तीसरा इस क्षेत्र में जिस तरीके से सैकड़ों की संख्या में उद्योग स्थापित हुये हैं पर्यावरणी जनसुनवाई मैं हमेशा से देखता आ रहा हूँ कि जिला प्रशासन के द्वारा जनसुनवाई करवाई जाती है। इस क्षेत्र में आज से 20 साल पहले जब जाता हूँ जब उद्योगों की शुरुआत हुई थी रायगढ़ जिले में तब इस क्षेत्र में लोगों ने खुले दिल से स्वागत किया था। लोगों को लगा जब यहां उद्योग लगेंगे तो इस क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलेगा इसके बाद विगत 10-15 वर्षों के आकड़े उठा के देख लीजिये घरघोड़ा से रायगढ़ तक सड़क मार्ग में बेताहशा वृद्धि हुई है। मैं जिला प्रशासन से पूछना चाहता हूँ जब उद्योग किसी क्षेत्र में लगता है तो राज्य सरकार से एम.ओ .यू. पर हस्ताक्षर होता है। उसमें उद्योग प्रबंधन सरकार के सामने जाकर इस शर्त में जाकर हस्ताक्षर करते है कि उस स्थान के स्थाई लोगों को रोजगार देंगे। क्या जिला प्रशासन विगत 15-20 वर्षों के आकड़े देखकर बतायेगा कि यहां कि लोगों को कितना रोजगार दिया गया। रायगढ़ जिले में लगभग 100-150 उद्योग है यदि 10-10 लड़को को भी रोजगार मिलता तो बहुत था। मेरा अनुमान है कि सैकड़ों की संख्या में भी जनसुनवाई का विरोध होता है तो उद्योग प्रबंधन के पक्ष में जनसुनवाई पास करवा दिया जात है। मेरा किसी उद्योग प्रबंधन से कोई शिकायत नहीं है मुझे जिला प्रशासन से निरंतर शिकायत है। उद्योग प्रबंधन जब समझौते पत्र पर हस्ताक्षर करती है तो उसको परिपालन क्यों नहीं करा पाती जिला प्रशासन इस बात पर घोर आपत्ति है घोर निराशा है जिला प्रशासन के अभी तक के भूमिका को लेकर। जिला प्रशासन द्वारा जो पर्यावरणीय जन सुनवाई का आयोजन का सक्त विरोध दर्ज करवाता हूँ। जिला प्रशासन इससे मुझे जरूर अवगत कराये कि विगत 15-20 वर्षों में कितने लोगों को रोजगार दिया गया उद्योगों के द्वारा। धन्यवाद।

746. गुलाब, लाखा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

747. विनोद, चिराईपानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

748. विनोद, तराईमाल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

749. शिवकुमार – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

750. विष्णु – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

751. सूरज राठिया – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

752. राजेश त्रिपाठी, रायगढ़ – मैं लगभग 11:30 बजे यहा की जनसुनवाई में आया और 02 तरह का मोहौल देखा कि एक वो है जो मूल गेट में हैं उसके पास 13 सुत्रीय मांगो के लेकर खड़े थे। 80 प्रतिशत लोगों को हम देखे तो उनकी उम्र 18 से 40 साल तक है और लोगों का बुनियादी सवाल यही रहा कि स्थानिय उद्योगों में स्थानिय लोगों को रोजगार का अवसर मिले। सर मैं कल रायगढ़ जिले के रोजगार कार्यालय का एक आकड़ा निकाला कि रायगढ़ जिले में कितने ऐसे बेरोजगार युवक हैं जिनका रोजगार कार्यालय में

पंजीयन है 2,20,583 बेरोजगार युवाओं की संख्या है। रायगढ़ जिले में लगभग 73 छोटे बड़े उद्योग हैं। अभी 3-4 महीने हमें जनसुनवाईयों का व्यापक पैमाने पर खेल दिखेगा और आज की जनसुनवाई लगभग 26 वीं जनसुनवाई है जो 2021 में जनसुनवाईयां हुई हैं। सभी जनसुनवाई में 03 मुद्दे काफी महत्वपूर्ण उठे एक दुर्घटना का मुद्दा पूरे छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में सबसे ज्यादा दुर्घटनाओं से मौत होती है और लगभग एक महीने में 372 लोगों की मौत रायगढ़ के अंदर होती है। दूसरा मुद्दा यहां के प्रदूषण का मुद्दा है कि पी. एम.10 पी.एम.2.5 और जिस तरीके से दिन प्रतिदिन हमारे जंगल कम हो रहे हैं अभी एक महिला ने पानी का मुद्दा उठाया कि रायगढ़ में लाखों करोड़ों के पूंजी निवेश रायगढ़ में होने के बाद जिन लोगों ने अपना जल जंगल जमीन इन उद्योगों को स्थापित होने के लिये दिया उनको आज 30 सालों में शुद्ध पेयजल भी नसिब नहीं हो पाया। सर इस कोरोना काल में बहुत युवा नवयुवक हमारे पास आये और उन्होंने कहा उसमें से एक लड़का बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिये जो कम्प्यूटर साफ्टवेयन इंजीनियर था। भुवनेश्वर में 80 हजार का बैंगलोर में नौकरी कर रहा था सर उसकी पिता जी की मृत्यु कोरोना में हुई उस समय पर उसका कहना था कि मैंने नौकरी छोड़ी और जो पैसा था हमने अपने पिताजी के दवाई में लगाये अगर आप किसी उद्योग को कह दे अगर मुझे यहां नौकरी मिल जाये तो मैं अपने मां-बाप की निगरानी भी कर लूंगा और जो हमारे मां-बाप की दवाई में खर्च होगा वो उससे चल जायेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे सर मैं एक उद्योग के मालिक के पास लेके गया उसके परिस्थितियों को देखते हुये। उस मालिक ने मुझसे जो कहा वैसे तो हम महीने का 08 हजार रुपये देते हैं परन्तु आप अगर त्रिपाठी जी आये हो तो इस आदमी को मैं 10 हजार प्रतिमाह की रुपये दे सकता हूं। ये उस उद्योग के मालिक ने कहा। मैंने कहा जो 08 हजार रुपये राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून चलता है उसमें मिट्टी खोदने वाले मजदूर की भी जो मजदूरी है वो उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी थी उस उद्योग में। यहां बैठने वाले 80-90 प्रतिशत लोग युवा हैं जो नौकरी के तलाश में हैं। पता नहीं कहां कहां पलायन करते हैं। इसके बावजूद भी हम रायगढ़ में पूंजीनिवेश उद्योगों का विस्तार और जनसुनवाई का प्रक्रिया करते रहते हैं। ये जो जनसुनवाई हो रही है ये टी.ओ.आर. के मुताबिक ई.आई.ए. बनाने की बात चल रही है और मैं भी 30 साल से ये ई.आई.ए. पढ़ रहा हूं और जो ई.आई.ए. के अंदर कंडिशन भी होती है। यहां ई.आई.ए. के अंदर दुर्घटनाओं की कोई जानकारी नहीं होती यहां स्वास्थ्य के मुद्दे में लगभग जब किसी भी कंपनी की जनसुनवाई करते हैं लगभग 10 कि. मी. के अंदर 56 गांव आते हैं सर और अगर एक गांव में एक भी आंगनबाड़ी है और सरकार के जो आंकड़े हैं एक आंगनबाड़ी में 30 बच्चे हैं एक साल से ऊपर के बच्चे आते हैं तो वो आंगनबाड़ी तो वो आंगनबाड़ी संचालित होती है तो अगर हम इन्टू 30 भी कर दे तो कितने बच्चे उस आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं तो है और उनके स्वास्थ्य में वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण का क्या असर पड़ेगा। इसका कहीं ई.आई.ए. के अंदर कोई जिक्र नहीं होता। प्राइमरी व मीडिल स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो गांव में रहने वाले लोग

हैं आज तक हमने नहीं सुना है कि किसी कंपनी ने किसी गांव में स्वास्थ्य कैम्प लगाया है और स्वास्थ्य कैम्प में लोगों को दमा, टी.बी., कैंसर इसरोपीडिया जैसे गंभी बीमारियों पर कोई अध्ययन किया गया है। डॉ. आई.ए. बनाने वाली कंपनी भी जान रहीं है मेरे बैग में डॉ. सुनिता नारायण की एक रिपोर्ट पड़ी है। जो उन्होने इसी रायगढ़ जिले के तमनार विकासखण्ड का अध्ययन किया है। आपके ई.आई.ए. के आंकड़े कुछ और बोलते हैं और डॉ. सुनिता नारायणन जी के एक साल के रिपोर्ट कुछ और बोलती है। अगर हम ये देखें की हमारे यहां जो जनसुनवाईयां होती है अलग-अलग एजेंसिया भी ई.आई.ए. बनाती हैं सर परन्तु इन ई.आई.ए. को देखें तों मैं भी देख रहा था कि सभी ई.आई.ओं के केवल पन्ने व कंपनियों के नाम बदले जाते हैं। आंकड़ें वहीं हैं जो आज से 10 साल पहले यहां इसी जगह पर जिन कंपनियों की जनसुनवाई की आंकड़े इन पन्नों के अंदर रहते हैं। मैं कभी यह नहीं कहता कि उद्योग नहीं लगना चाहिये उद्योग निश्चित तौर पर इस देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था का रीढ़ की हड्डी है। इस बात से भी मैं नहीं नकारता कि उस क्षेत्र में भी प्रदूषण नहीं फैलेगा परन्तु सरकार द्वार जो निर्धारित मापदण्ड है उनका उद्योगपतियों को पालन करना चाहिये। उनका पालन रायगढ़ जिले में कम से कम उद्योग तो नहीं करते दावें सभी लोग करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ये करने का सोच रहे हैं अगर 20 साल से आपका उद्योग स्थापित है तो आपने पहले क्यों नहीं सोचा तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। उन लोगों को मैं यह बताना चाहता हूं कि कोरोना ने सब लोगों को यह बताया है कि 10 रुपये प्रतिदिन कमाने वाला जिस तरह से मरा है उसी तरह से 10 लाख करोड़ कमाने वाला भी उसी तरीके से उसकी मौत हुई और वही लोग जैसा 10 रुपये वालों का अंतिम संस्कार हुआ वैसा ही 10 करोड़ रुपये वालों का भी किया गया है। और ये कोरोना है जो यह है क्या जिस तरीके से हम प्राकृतिक संसाधनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो हम सब मिलकर अपनी मौत का कूआं तैयार कर रहे हैं और इसके लिये सबको विचार करना होगा। ये सरकार का मामला है कि वह पर्यावरणीय मामलों में उद्योग को अनुमति देगा कि नहीं देगा। ये मंच समर्थन और विरोध का मंच नहीं है ये आपके द्वार जो क्रिटिक ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार की गई है उस क्रिटिक ई.आई.ए. में आप जो आज जनसुनवाईयां करा रहे हैं इसका केवल मतलब यह है कि प्रभावित क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपना अभिमत टीका, टिप्पणी, सुझाव दें जिसके बाद ई.आई.ए. बनाने वाली कंपनी फाईनल ई.आई.ए. बनाकर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को दें और सभी लोगों ने अपना बात रखा। लोगों के अंदर ये व्यह्वार बना दिया गया है कि हम जनसुनवाई का विरोध या समर्थन करने जा रहे हैं। सच्चाई यह है कि आपकी सरकार और ई.आई.ए. ए. यह जानना चाहती है कि अगर यहां उद्योग स्थापित होगा या उद्योग का विस्तार होगा उससे यहां के जन-जीवन पर, यहां के जंगल पर, यहां के पर्यावरण पर, यहां के कृषि पर, यहां के लोगों के स्वास्थ्य पर, क्या प्रभाव पड़ेगा और उस प्रभाव को किस तरीके से कम किया जा सकता है खतम नहीं किया जा सकता इस बात के लिये जनसुनवाईयां होती है। सरकार एम.ओ.यू. साईन करती है, कंपनियों को बहुत ज्यादा छूट

भी मिलती है कि कंपनी स्थानिय लोगों को बता दे कि एम.ओ.यू. साईन करते हैं उसका बिजली में, जमीन में, जमीन के रजिस्ट्रियों में इन कंपनियों को छूट मिलता है परन्तु अगर मैं 20 साल पहले की बात करूं और आज की बात करूं जिन गांवों में मैं जाता हूं 2,4,5 स्थानिय लोग होते हैं जो उद्योगों में काम करते हैं और वो भी कौन लोग काम करते हैं किसी नेता के भाई भतीजे होंगे या साहब के लड़के होंगे जो वास्तव में उस गांव का सबसे जरूरतमंद आदमी है उसको कभी भी उस स्थानिय उद्योगों में रोजगार नहीं मिलता। एक उद्योगपति ने कहा हम स्थानिय लोगों को रोजगार नहीं देते कि ये काम नहीं करते ये निकम्मे होते हैं। मैंने कहा ये बताईये आपके कंपनी के अंदर ऐसा कौन सा काम है आप उनका चयन करिये 15 दिन का मैं प्रशिक्षण करता हूं और जो लोग आपके यहां काम करते हैं उनसे बेहतर काम करने का जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ऐसा उद्योग के अंदर क्या काम है जिसके लिये डॉक्टर, पी.एच.डी. चाहिये कि डिग्रीयां, इंजीनियर, ओविसियर चाहिये। मैंने देखा अदर स्टेट के जो काम करने वाले हैं मेरी बात होती है तो उनका क्वालीफिकेशन 95 प्रतिशत लोगों का 10 वीं से ज्यादा नहीं होता तो क्या हमारे लोग 10 वीं पास 12 वीं पास नहीं होते और मैं कभी किसी बाहर के कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ने नहीं गया। मैंने लोगों से सीखा और सीखकर इन मुद्दों को लोगों के सामने रखा। और मुझे गांव के लोग बोलते हैं यदि आप 20 साल से काम कर रहे हैं तो इम्पैक्ट क्यों नहीं दिख रहा। उन लोगों को बताना चाहता हूं कि रायगढ़ जिले के वो हम लोग ही हैं जिन्होंने इस देश के अंदर एन.जी.टी. बनवाया इससे पहले एन.जी.टी. नहीं थी हम लोग वे लोग वे हैं जो गरीब लोगों की जमीन 05 लाख रुपये एकड़ जाती थी आज 20 साल बाद इन्ही किसानों की जमीन रेल्वे में कंपनियों में भू-अर्जन होता है तो 10 लाख का 04 गना यानी 40 लाख एकड़ मिल रहा है। हम वो लोग हैं विगत 20 वर्षों में रायगढ़ जिले में पर्यावरण का कोई पैमाना नहीं लगा था पर्यावरण अधिकारी महोदय ने काफी प्रयास के बाद रायगढ़ जिले में 04 पी.एम.10 पी.एम. 2.5 और जो माप के तरीके हैं कम से कम कलेक्ट्रेड के ऊपर में उन्होंने लगवाया हैं। हमारा काम यह है कि पर्यावरणीय मापदण्ड को हम जल, जंगल, जमीन और लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखते हुये हम उद्योगों का बेहतर तरीके से कैसे संचालन करें। रायगढ़ जिले में आज कम से कम 12-15 मेगावॉट बिजली पैदा होती है कौन सा ऐसा उद्योग है जो रायगढ़ के लोगों को सस्ती बिजली देती है जो बिजली रायगढ़ में पैदा होती है उसका कीमत जो रायपुर में है, जो बस्तर में है, जो हरियाणा में है, जो पंजाब में है वही है वही कीमत तो हमको भी मिलती है जो कि हम अपना जंगल, जमीन, कोयला, पानी, श्रम देते हैं। इन चीजों पर हम सबको विचार करना पड़ेगा और अगर हम इन चीजों पर विचार नहीं करेंगे तो यही स्थिति होगी जो इस देश का आजादी के पहला बिगुल अगर 1857 में बजा था तो 1950 में ये देश आजाद हो गया था आप कहीं न कहीं मानेंगे तो आज हमारे सबसे बड़ी अगर सफलता है कि इतने जनसुनवाई में इतने व्यापक पैमाने पर महिलाएँ, बच्चें, युवा निकल रहे अपनी स्थानिय कंपनी में रोजगार की बात कर रहे हैं, पर्यावरण की बात कर रहे,

सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो हमें कहने में कोई बुराई नहीं है कि आने वाले समय में उद्योग यहां के लोगों को रोजगार नहीं देंगे, पर्यावरण की ठीक से निगरानी नहीं करेंगे, जंगलों में फलाई ऐश फेकेंगे तो शायद छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला वो होगा जहां सबसे बड़ी पर्यावरणीय क्रान्ति होगी और उस क्रान्ति का परिणाम उद्योगों को भोगना पड़ेगा देखना पड़ेगा तो जरूरत इस बात की है कि अब यहां के लोगों का आने वाले समय में लगभग 40-45 लाख मीलियन मीट्रिक टन यहां फलाई ऐश निकल रहा है। जिन रास्तों से मैं आ रहा हूं सर तराईमाल के अंदर केलों नदी के किनारे चलिये कंपनियां फलाई ऐश जंगल में डाल रहे हैं, बरसात में पानी बहकर वो केलो नदी में जा रहा है। लगभग साढ़े 04 05 लाख लोग रायगढ़ के और रायगढ़ के आस-पास के लोग उस पानी को पीते हैं। तो इ समंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आप उद्योग चलाईये उद्योग का विस्तार कीजिये परन्तु जो पर्यावरण के मापदण्ड हैं उद्योग से निकलने वाली फलाई ऐश के लिये पहली कंडिशन है कि आपके यहां ऐश डाईक बनना चाहिये, 30-32 उद्योग बिजली उत्पन्न करते हैं रायगढ़ जिले में केवल 04 उद्योग के पास ऐश डाईक हैं जो अपना फलाई ऐश रखते हैं। हमारे कंपनी बोलते हैं 98 प्रतिशत फलाई ऐश का निस्तारण हो गया। कंपनियां ये भी बोलती हैं कि हम फलाई ऐश से ईट बनायेंगे, सीमेंट बनायेंगे परन्तु रायगढ़ जिले में ईट का कोई उद्योग स्थापित नहीं हुआ, सीमेंट बनाने का एकमात्र जिंदल का प्लांट है तो खुले जितना सीमेंट बनाने के लिये उनको जितना फलाई ऐश चाहिये उससे हजार गुना ज्यादा उनका खुद का पैदावार है। अभी गुढ़ेली के ऊपर जैसे 19 लाख का जुर्माना हुआ है तो सर मैं यही कहना चाहता हूं कि यह वैसे ही है जैसे संबल की चारी और सुई का दान करना। हजार करोड़ उस फलाई ऐश के धुनाई और निस्तारण में खर्चा होना चाहिये तो उसने अपना हजारों लाखों टन फलाई ऐश को ठिकाने लगा लिया उसके ऊपर आपने जुर्माना कितने का किया 19 लाख रुपये का जैसे वन विभाग जंगल के पेड़ों पर करता है जुर्माना 40 रुपये उसके नर्सरी में लगाने के लिये जो पौधे मिलते हैं वो खुद 50, 75, 80 रुपये के होते हैं तो नर्सरी का जो पौधा है उसकी कीमत ज्यादा है जो जंगल में तंदरूस्त पेड़ है उनकी कीमत कम है, तो इन सब चीजों को हमें देखना पड़ेगा। मैं सम्मानिय मंच और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।

753. गीमा, गेरवानी- मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
754. सपना - मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
755. राधा- मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
756. भानुमति- मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
757. मनी राम- मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
758. रामसिंह, गेरवानी- मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

759. राधे श्याम शर्मा, जन जागरण मंच, रायगढ़ - जन सुनवाई की प्रक्रिया से संबंधित बातें हमारे कई विद्वान साथी रखते हैं और उसका परिणाम बहुत धीरे और उसका मात्रा कम होता है। जिले में जिला प्रशासन है और जिला प्रशासन इन जनसुनवाईयों को संपन्न कर रही है यह लगभग 26 वां जनसुनवाई है विगत नवम्बर से लेकर अभी तक जनसुनवाई का जो प्रक्रिया है वो जनमत संग्रह का है। लोकतंत्र में जनमत संग्रह का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं पीठासीन अधिकारी महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि नवम्बर से लेकर अभी तक जितने जनसुनवाईयां हुई है उसमें से कितने उद्योगों को केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति मिल चुकी है। वो अनुमति प्राप्त करने में समर्थ हो गये हैं वो कितने उद्योग हैं क्योंकि अगर जनसुनवाईयों का प्रकाशन समाचार पत्रों में किया जाता है तो निश्चित रूप से जनता का अभिमत दर्ज करवाने के लिये वो पालन किया जाता है और उसका परिणाम अगर जनता नहीं देखती है तो वह पूर्ण रूप से अधूरा है। मैं इस बिन्दु पर बल देना चाहता हूँ कि जब जनसुनवाईयों संपन्न हो जात है केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से जब उन्हें एन.ओ.सी. मिलता है वो भी जिला प्रशासन, पर्यावरण का दायित्व बनता है उस एन.ओ.सी. को वहां से निरस्त की जाती है उसकी जानकारी जनता में सामाचार पत्रों के प्रकाशन से दिया जाना चाहिये वो नहीं दिया जा रहा है। लोकतंत्र में अगर जनमत संग्रह के परिणाम से अगर जनता वाकिफ नहीं है तो यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से अधूरी है क्यों कि हर जनता नेट व साईट से जानकारी नहीं ले पाता कि उसको अनापत्ति मिल गई की उसका आवेदन खारिज कर दिया गया। जनता को परिणाम की जानकारी नहीं है तो वे अगले चरण की लड़ाई कैसे लड़ेगा इसलिये केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय नियमों में संशोधन करत हुये जो भी जनसुनवाईयां होती हैं उसके परिणाम का भी प्रकाशन समाचार पत्रों के माध्यम से करे तभी जनसुनवाई का जो औचित्य है तब पूरा हो पायेगा। अब ये जनता नहीं जानती कि 25 जनसुनवाईयां हुई है उनका परिणाम क्या है, जनसुनवाई कराने के लिये सूचना प्रकाशन होता है लेकिन जनसुनवाई का परिणाम नहीं आ पाता तो जनता उसका अधिकारी है इसलिये जब तक नियमों में संशोधन नहीं हो जाता मैं पीठासीन पर्यावरण अधिकारी पीठासीन अधिकारी से सादर अपेक्षा करूंगा कि जिन जिन जनसुनवाई में जो जो परिणाम आया है उसका परिणाम क्षेत्रीय सामाचार पत्रों में प्रकाशन अवश्य करवाये। यहां कि जनता ने जो अभिमत दिया है वो विरोध है और उसके बाद भी उन्हें केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय से एन.ओ.सी. मिल जाती है तो उसके आगे की प्रक्रिया है जनता चाहे तो अपील करेगी, न्यायालय में जायेगी अगर ये प्रक्रिया अभी तक अधूरी है तो जनसुनवाई की प्रक्रिया जो चलती आ रही थी वो अधूरी थी वो जनता के अधिकारों का हनन था मेसर्स सुनिल इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड कंपनी के प्रभावित ग्राम हैं वो अनुसूचित क्षेत्र में आती है और सुनिल इस्पात ग्राम लाखा में स्थापित है और उससे इतना दूर जो जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है उससे उस क्षेत्र की जनता को वंचित किया गया है हर व्यक्ति इतना सक्षम नहीं है कि इतना दूर आये और अपना अभिमत प्रकट कर सके। ई.आई.ए. रिपोर्ट

बनने के लिये जो प्राक्धान निर्धारित हैं उसमें जो मूल बिन्दु हैं, प्रदूषक के कारक हैं, वर्तमान में प्रदूषण की क्या स्थिति है उस क्षेत्र में उसका कोई भी आंकड़ा ई.आई.ए. रिपोर्ट में कोई भी कन्सल्टेंट कंपनी नहीं करती और आंकड़ा नहीं है तो पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन नहीं है वो ई.आई.ए. रिपोर्ट फाल्स है और ऐसी फर्जी ई.आई.ए. रिपोर्ट के आधार पर जनसुनवाई हो रही है और जिला प्रकाशन करा रही है तो उद्योग को एक्टरफा लाभ पहुंचाने का जिला प्रशासन का प्रयास है। ई.आई.ए. रिपोर्ट बनने का जो प्राक्धान है वो अध्ययन क्षेत्र के ग्राम पंचायत का निश्चित रूप से अभिमत और पंचनामा बनना चाहिये कि किन किन व्यक्ति के समझ व आकलन उस कन्सल्टेंट कंपनी द्वारा किया गया है। अभी तक जितनी भी जनसुनवाईयां हुई है उसके ई.आई.ए. में माप नहीं दी जाती कि वहां की जल एवं वायु प्रदूषण क्या है और जिस क्षेत्र में ज्यादा उद्योग है कलेक्टर परिसर में लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन इस क्षेत्र में क्यों नहीं लग रहा है और उसकी भी एक वर्षीय आंकड़ा आना चाहिये कि हर महीने वहां प्रदूषण की क्या क्या स्थिति रही अगर नहीं है तो ई.आई.ए. रिपोर्ट अपूर्ण है। पीठासीन अधिकारी को ऊपर से जो आदेश रहता है कि सिर्फ जनसुनवाई करवानी है। जनता के अभिमत में कारण होना चाहिये लोकतंत्र में जो वोट देते हैं पहले बैलेट पेपर चलता था अगर उसका निशान दूसरे पत्र में आ जाये तो उसे निरस्त माना जाता है तो समर्थन विरोध करने वाला का एक सटीक बिन्दु होना चाहिये किस बिन्दु से प्रभावित होकर समर्थन किस बिन्दु पर परिणाम विपरित है या जनहित में नहीं है उन परिणामों के साथ उस व्यक्ति का अभिमत यहां दर्ज होना चाहिये और बिना किसी कारण सिर्फ व्यक्ति यह कहता है कि मैं मेसर्स सुनिल इस्पत का समर्थन करता हूं तो वह अपात्र हो ये वन पर्यावरण मंत्रालय में संशोधन होना चाहिये जो लोग बिना कारण के समर्थन विरोध कर रहे हैं उनके अभिमत को निरस्त करना चाहिये और जनसुनवाई स्थल पर ही जैसे वोट की काउंटिंग होती है उसका परिणाम आता है पीठासीन महोदय लीस्ट में पूरा पढ़ते हैं किन किन व्यक्तियों ने किस आधार पर समर्थन किया और किस किस ने विरोध किया तो उस अभिमत में कितने वैध हैं ये जारी होना चाहिये और जनसुनवाई स्थल पर ही जाना चाहिये ताकि जनता को पता चले उनका समझ बढ़े हमने विरोध किया समर्थन किया और वैध नहीं हो पाया तो वैध इसलिये नहीं हो पाया कि उनकी जानकारी अधूरी थीं और अगर जानकारी अधूरी हैं तो पर्यावरण वन मंत्रालय का उद्देश्य है जो जन जागृति के लिये उस क्षेत्र में ग्रामों में जाकर के जो जागरूकता पैदा कर रही हैं लोगों को बताना है कि ये स्थिति इस क्षेत्र की है और आपको इस पर अभिमत देना है परन्तु निरंतर रायगढ़ जिले में जनसुनवाई के जो निर्धारित मापदण्ड है जो विधान बना हुआ है उसको जिला प्रशासन के अधिकारी जानबूझकर अनदेखी करते हैं और इस जनसुनवाई में भी उसका परिपालन नहीं हो पाया है इसलिये ये जनसुनवाई पूर्ण रूप से अवैध है अवैधानिक है और जिस जिले में एन.जी.टी. ने प्रतिबंध लगा दिया है कि जब तक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन शासकीय कमिटी द्वारा नहीं कर ली जाती तब तक जिला प्रशासन कोई

भी जनसुनवाई नहीं करवा उसके पश्चात् इतना अमला का समय और जनता का भी समय जाया जाता है। जनसुनवाई की प्रक्रिया में जिले के निम्न सदन से लेकर उच्च सदन में चुने हुये जन प्रतिनिधियों का अभिमत और उस सदन का अनुमोदन चाहे वो ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत हो, नगर निगम हो उस सदन का जब तक अनुमोदन प्राप्त नहीं होता तब तक जनसुनवाई की प्रक्रिया अधूरी है अपूर्ण है इस पर केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय को इन केन्द्रीय लोकतांत्रिक बिन्दुओं को ध्यान में रखकर के इन्हे आवश्यक रूप से शामिल किया जाना चाहिये संशोधन किया जान चाहिये कि वहां के चुने हुये सरकार वहां के चुने हुये जनप्रतिनिधि जब तक उस जनसुनवाई को अनुमोदित नहीं करते या अभिमत दर्ज नहीं करवाते तब तक वह प्रक्रिया अधूरी है अपूर्ण है। एक लम्बे समय से जिले में उद्योगों का विस्तार हो रहा है इसे किसी कमिटी की मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है इसे हमें खुले आंख से देखने और समझने को मिलता है। एन.जी.टी. के अधिकारी यहां आये और इस क्षेत्र का अवलोकन किये और जो निर्देश जारी किये उसके पश्चात् भी जनसुनवाईयां हो रही है तो वो प्रशासन की अधर्मता है प्रशासन की दादागिरी है। जनसुनवाई के जो आधार है वो ई.आई.ए. रिपोर्ट हैं क्या ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिस क्षेत्र क मूल्यांकन किया गया है वहां जिला प्रशासन के पास जो आंकड़े है बीमारियों के वो क्यों दर्ज नहीं होते उन आंकड़ों को दर्ज होना चाहिये। क्षमता से अधिक उद्योग अगर किसी क्षेत्र में लग चुके हैं और अगर वहां जो ढांचा है उसका विस्तार नहीं हुआ है सड़क जिसपर लोग चलते हैं उसका क्षमता कितना है और उन सड़को पर जा दुर्घटना है वो भी पर्यावरण विभाग मूल्यांकन में इसलिये दर्ज होना चाहिये जिससे केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय को यह समझ आ जाये कि अब इस क्षेत्र में उद्योग की गुंजाईश नहीं है जब तक वहां का इन्फ्रा स्ट्रक्चर नहीं होगा तो बिना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्लप हुये जो जनहानि हो रही है जो बीमारियां हो रही हैं वो ई.आई.ए. रिपोर्ट में नहीं आ रही जबकि कन्सल्टेंट कंपनियों का दर्ज करना चाहिये अगर नहीं कर रहे तो वो भी जनता के साथ कंपनी मालिकान के साथ कंपनी ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाने वाली कंसल्टेंट कंपनी को फीस देती है वो फर्जी रिपोर्ट बना रही है उसका मूल्यांकन कंपनी क्यों नहीं करती ई.आई.ए. रिपोर्ट में उस कंपनी के कितने शिकायत हैं प्रदूषण से संबंधित जिला प्रशासन पर्यावरण विभाग के पास वो भी दर्ज होना चाहिये क्योंकि किसी व्यक्ति को नौकरी देने से पहले उससे चरित्र प्रमाण पत्र लिया जाता है तो किसी कंपनी के विस्तार के लिये वो कंपनी की कार्यप्रणाली क्या है, कैसी है, उसके जनशिकायत कितने हैं और उन्हे पर्यावरण विभाग द्वारा कितने बार नोटिस जारी किया गया पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन के लिये वे दण्डित हुये नहीं हुये अलग चीज है क्योंकि दण्डित करना नहीं करना प्रशासन की ईमानदारी की बात है क्योंकि अगर वे ईमानदारी से कार्य करते तो रायगढ़ जिले के 90 प्रतिशत उद्योग बंद हो चुके होते। ई.आई.ए. रिपोर्ट वाली कंपनी विस्तार वाली कंपनी का ये बिन्दु विशेष रूप से नोट किया जाये कि जो कंपनियां विशेष रूप से विस्तार करती हैं तो पूर्व में उनके अनुबंध सरकार से हैं वो सरकार में किन किन अनुबंधों के

तहत चाहे वह पलाई ऐश के हों, प्रदूषित जल के हों, कि वायु प्रदूषण रोकने के हों वो किन किन हद तक उसका परिपालन किये हैं अगर नहीं किये हैं तो विस्तार जनसुनवाई का कोई औचित्य नहीं है तो ये रिपोर्ट ही नहीं आ रही है तो ये रिपोर्ट की फर्जी है मैं पीठासीन महोदय से अनुरोध करता हूँ कि मैं जिन जिन बिन्दुओं को बोला हूँ वो नहीं है तो ये ई.आई.ए. रिपोर्ट फर्जी है और पीठासीन अधिकारी महोदय इस फर्जी ई.आई.ए. रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक प्रकरण कन्सल्टेंट कंपनी और मेसर्स सुनिल इस्पात के ऊपर दर्ज करें। पर्यावरण विभाग, जिला प्रशासन के पास अमला नहीं है प्रदूषण पर कारगर नियंत्रण के लिये कलेक्टर महोदय भीमसिंह जी नेता से भी बड़े नेता हैं उन्होने मुझे कहा था मैं एक कमिटी गठित करूंगा जो जनता के प्रतिनिधि हैं जनता के जानकार लोग हैं और प्रशासन की एक टीम वो टीम मूल्यांकन करेगी रिपोर्ट देगी। ये सिर्फ राजनैतिक लट्ठेबाजी के अलावा कलेक्टर महोदय का और कुछ नहीं है उन्होने मुझे संतुष्ट करने के लिये कह दिया मैं पर्यावरण अधिकारी महोदय से निवेदन करता हूँ वे जानते हैं उनके पास क्या आमला है उनके सार्सेस कितने हैं उनके पास भी अधिकार है वे चाहे तो चुने हुये जनप्रतिनिधि जागरूक लोग को आमंत्रित करें एक मीटिंग गठित करें और वो मीटिंग गठन के पश्चात् एक कमिटी गठन हो और वह कमिटी ई.आई.ए. रिपोर्ट का मूल्यांकन करें कि वह वास्तव में सही है या नहीं उसके पश्चात् जनसुनवाईयां हो और जनसुनवाईयां के पश्चात् भी वो कमिटी निर्धारित करें और अपना अभिमत उसमें जुड़वाये और उसमें तकनीकी बिन्दु उसमें क्या चूक है उसमें क्या क्या संशोधन होना चाहिये और उसके परिणाम के लिये अभिमत मांगे केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय को भेजवायें। मैं पर्यावरण अधिकारी व पीठासीन अधिकारी महोदय से अनुरोध करता हूँ वो एक कमिटी का गठन करें और ये उनका अधिकार है इस लोकतंत्र में जनता की कमिटी नहीं है चुने हुये लोगों की कमिटी नहीं है तो कैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रवहन होगा तो अभी तक जितनी जनसुनवाईयां हो चुकी हैं एक सप्ताह के अंदर जिनकों अनुमति मिल चुकी है या जिनकी जनसुनवाई निरस्त की जा चुकी है केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा उसे एक सप्ताह के अंदर समाचार पत्रों में प्रकाशित करें क्योंकि परिणाम जानने का अधिकारी जनता है तो जनता को उस परिणाम के बारे में मालूम हो कि उन्होने जो समय जाया किया है उसका परिणाम क्या है ग्रामीण जनता कैसे जानेगी और उस परिणाम को केवल समाचार पत्र में ही नहीं बल्कि उस कंपनी के प्रभावी क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत में भी उसका कॉपी जाना चाहिये कि ये जनसुनवाई इतने तारीख को केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वीकृति की गई। प्रक्रिया जब अपूर्ण है और जनता अनभिज्ञ है तो कैसे संभव है कि यह जनसुनवाई का आयोजन वैधानिक रूप से परिपूर्ण है। क्या एन.जी.टी. के पत्र का अवलोकन पीठासीन अधिकारी नहीं करते या पर्यावरण अधिकारी महोदय नहीं करते अगर करते तो एन.जी.टी. का जो महत्व है और कर्तव्य और जो दायित्व है वो पर्यावरण नियमों के उल्लघन पर रोक लगाने का है तो वो रोक लगा चुकी है उसके बाद भी जनसुनवाईयां और यहां उपस्थित शासकीय व्यक्ति हैं वो भी इस क्षेत्र की जनता हैं

केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय को जनसुनवाई स्थल में जितने भी शासकीय अशासकीय लोग हैं जो भी उपस्थित होते हैं उनका अभिमत लेना भी अनिवार्य होना चाहिये क्योंकि वे प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी नहीं हैं वे एक नागरिक हैं और वह इस क्षेत्र में रहता है और वातावरण का प्रभाव उसके परिवार पर भी पड़ता है इसलिये केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय यह संशोधन निश्चित रूप से लाये कि जन सुनवाई सभा में जो भी शासकीय कर्मचारी हैं क्योंकि जब चुनाव होता है इनके पोस्टर दिया जाता है यहां इनको क्यों वंचित किया जाता है आप भी वंचित है आप अपना अभिमत दर्ज नहीं कर रहे हैं आप सिर्फ डाकिये का काम कर रहे हैं ये जनसुनवाई हुई इसको हमें भिजवा देना है प्रशासनिक अधिकारी का दायित्व है कि आपका अभिमत भी दर्ज करायें वो भी विधि सम्मति तरीके से क्योंकि आप विधि के जानकार हैं इसलिये आप इ समंच पर बैठे हैं और यदि उनका अभिमत विधि सम्मत तरीके से दर्ज नहीं होता है तो ये अपने पद का दुरुपयोग होता है ये भी प्रमाणित होता है जिससे आने वाले समय में जनता जो भी प्रक्रिया है उसको निर्धारित कर सके तब लोकतंत्र की अवधारण परिपूर्ण होगी। मैं पीठासीन व पर्यावरण अधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा की वे प्रशासनिक अधिकारी होने के दायित्व का निर्वहन करते हुये आज के इस जनसुनवाई में अपना अभिमत दर्ज करें और जनता ने जिन बिन्दुओं का अवगत कराया है और की जो जानकारी है उसका कहां कहां उल्लंघन है उसके साथ दर्ज होना चाहिये अगर लोकतांत्रिक उपस्थित है तो उपस्थित सभी लोगों को जनमत देने का अधिकार है अगर कोई नहीं दे रहा है या उसको जरूरी नहीं समझा जा रहा है वो गलत है यहां पुलिस के भी कर्मचारी हैं अन्य विभाग के भी कर्मचारी हैं वो भी अपना अभिमत दर्ज करायें। ये जनमत संग्रह की प्रक्रिया है यह प्रक्रिया तभी पूरी होगी जितने लोग हैं अपना अभिमत दर्ज करायें। मैं क्षेत्रीय अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि पेशा क्षेत्र में पेशा नियमों का उल्लंघन करते हुये और ग्रामसभ के बिना अनुमोदन के ये जनसुनवाई संपन्न हो रहा है जो अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उस ग्राम पंचायत का और सभी संबंधित ग्राम पंचायत का अपमान है जिन ग्राम पंचायतों को पेशा कानून के तहत विशेषाधिकार है उनके बिना अनुमति के ये जो जनसुनवाई हो रही है वो पूर्ण रूप से अवैध है तो अवैध जनसुनवाई ही करवाना है ऐसा प्रशासन का रवैया है तो इस रवैया को आपको बंद करना होगा। यहां की जनता रोजगार, छोटी-छोटी जरूरतों के लिये उनका विरोध उठना व्यापक दर्ज नहीं हो पा रहा है उनके विरोध समर्थन में जैसे राजनैतिक दल पैसा बांटते हैं वैसे ही कंपनियों पैसा बांटते हैं हर व्यक्ति को उसके कद के अनुसार पैसा मिलता है समर्थन करने का भी विरोध करने का भी आपको समर्थन करना है आप समय काटियें आपको समय काटना है उसका भी पैसा मिलता है तो ये प्रक्रिया कैसे पारदर्शी होगा ये प्रक्रिया तभी पारदर्शी होगी जब जो भी अभिमत आ रहा है बिन्दुवार विधि सम्मत हो सहमति भी और विरोध भी और उसका यही पर निर्णायक स्थिति होना चाहिये कि इतने अभिमत आयें हैं, इतने वैध हैं, इतने अवैध हैं। मेरे से ज्यादा विद्वान

आप लोग हैं पढ़ाई कर यहां तक पहुंचे हैं आपके जीवन का जो संघर्ष है आपके माता पिता का जो त्याग है तो आप इस देश के लिये कानून का परिपालन करें और आपके अभिमत से ये जनसुनवाई निरस्त हो क्योंकि यह अवैधानिक है तब इस क्षेत्र के जनता को भरोसा होगा कि प्रशासन उनके व लोकतंत्र के पक्ष में है तो जनता के सेवा के एवज में जो आपको वेतन मिलता है उसके साथ न्याय करेंगे ये भी पता लगेगा जनता क विश्वास जनतंत्र में प्रशासनिक अमला के प्रति मजबूत होगा आज की जनसुनवाई वन पर्यावरण मंत्रालय के अधिसूचना 2006 के 100 प्रतिशत विपरीत है अवैधानिक है इसलिये मैं पीठासीन व पर्यावरण अधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस जनसुनवाई को अभी निरस्त किया जाये और नये ई.आई.ए. रिपोर्ट के लिये आदेश जारी करें। छत्तीसगढ़ की जनता आर्थिक व मानसिक रूप से उतनी सबल नहीं है कि वो न्यायलयीन लड़ाई लड़ सके इसलिये मैं पुनः पीठासीन महोदय के समक्ष रख रहा हूं कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और मेसर्स सुनिल इस्पात और उसके फर्जी ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाने वाले कंपनी के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करायें। दर्ज करने के बाद जनता में रुझान आयेगा उस पर कार्यवाही चाहेगी और कार्यवाही भी होगा। पिछले 02 जनसुनवाई से मैं वंचित रह गया हूं। एक में मुझे सूचना मिली की जनसुनवाई 02 बजे की समाप्त कर दी गई है जब चुनाव होता है उसमें पीठासीन महोदय शासकीय समय में बैठते हैं और जितने मतदाता उस परिसर में आते हैं उनका मत लेते हैं यहां आप 01 बजे 02 बजे तक अभिमत दर्ज करवायें वाला नहीं है आपको शासकीय समय का परिपालन भी करना चाहिये इसलिये पिछली जनसुनवाई समय के हिसाब से अवैध है पीठासीन महोदय ने उस समय के गरिमा का परिपालन नहीं किया जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पूर्ण रूप से इस उद्योग के स्थापना और विस्तार के लिये विरोध दर्ज करते हुये पीठासीन अधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि अपने अभिमत से इस जनसुनवाई को निरस्त करें। जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।

760. शुभम मालाकार, तराईमाल - मैं यह कहना नहीं चाहता था कि पीठासीन अधिकारी और पर्यावरण अधिकारी इलिंगल रूप से यहां उपस्थित हुये हैं। जब लाखा के किसान आंदोलन चला रहे हैं सुनील इस्पात ग्राम चिराईपानी के ग्रामपसंचायत-लाखा में आता है सुनिल इस्पात के पीछे केलो डूबा में इनकी जमीनें डूब गई इन्हे पुर्नवास करके नया लाखा में बनाया गया इन्हे कुछ जमीन खेती के लिये दी गई उसके सामने सुनिल इस्पात मेसर्स सुनिल इस्पात पॉवर लि, ग्राम- चिराईपानी, ग्राम पंचायत लाखा, तहसील व जिला- रायगढ़ स्टील प्लांट डीआरआई किल्न स्पंज जो कि वर्तमान में चला रहे 1,15,000 टीपीडी और इसको डबल से भी ज्यादा 3,46,500 टीपीडी बढ़ाना चाहते हैं इसके बाद इण्डक्शन फर्नेस मैचिंग विथ एलआरएफ सीसीएम जो कि इनका 3000 टीपीडी संचालित था उसको 3,46,800 टीपीडी बढ़ा रहे हैं जितने अधिकारी आये हैं इन्हे गणित का आंकड़ा आता होगा नहीं आता तो बता दें मैं समझा दूंगा दोनो के बीच में कितना डिफरेंस है और रोलिंग मिल विथ हार्च आदि 30000 टीपीडी से लेकर 2,90,000 टीपीडी न्यू कमर्सल रोलिंग मिल

एलडीओ जो कि 30000 संचालित है न्यू फेरो एलो युनिट में 02 युनिट 18 एमटीए और एफईएमए 90000 टीपीडी, एसआईएम 60000 टीपीडी, एफईसीआर 60000 टीपीडी, एफईएसआई, 30000 टीपीडी, पिग आयरन 90000 टीपीए, कॉस्ट आयरन 90000 टीपीए, डब्ल्यूएचआरबी बेस्ड पॉवर प्लांट 12 से 34 मेगावॉट साथ ही सीएफबीसी बेस्ड पॉवर प्लांट 4.9 से 2.99 मेगावॉट और न्यू फलाई ऐश ब्रिक्स 38000 ब्रिक्स/दिन तो पर्यावरण अधिकारी, एनजीटी, को कुछ समझ नहीं आता और न रायगढ़ प्रशासन तो पूरा अंधा है। सुबह 8 बजे से वो किसान, महिलाएँ, युवा सब बैठे हैं वहां पर जिनकी 13 सूत्रीय मांगें हैं जिसकी मांग की अपेक्षाएँ किससे करें बताईयें जिसकी मांग किससे करें बताईये। इस साल 17-20 जनसुनवाईयां हुई है जितने भी पर्यावरण अधिकारी या पीटासीन अधिकारी मेन गेट से ही प्रवेश करते हैं शायद बंजारी माता से कुछ पाने के इच्छुक हैं कि खुद नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं मेरा ज्ञापन है जो कल मैंने दिया है इसमें इललिगल तरीके से सब गेट में घूसे है मेरे पास सबूत है टाईम के पास वहां से रजिस्टर गायब है उसका सबूत है मेरे पास लिखने वाला अलग जगह लिख रहा था उसका भी प्रमाण है मेरे पास इसमें साईन करके दें। क्या लाखा किसान का कोई दोष है कि उनका मांग पूरा नहीं हो सकता या जन सुनवाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्लांट के पास इतना पैसा है कि चारो तरफ बाउण्ड्रीवॉल भी कर दें तो हेलीकाप्टर से आदमी लाके समर्थन करवायेंगे इनकी ताकत इतनी है क्या है पैसे का घमंड है। आज की जनसुनवाई निरस्त होनी चाहिये क्योंकि शुरु से आखिरी तक इललिगल तरीके से चली है। बाहर जो किसान है उनका क्या होगा उनका निर्णय बता दीजिये चाहे जनसुनवाई न हो चाहेत प्रदूषण न हो या खेती करके खायें या उनकी मांग की पूर्ति कौन करेगा। सबसे पहले धन्यवाद रायगढ़ प्रशासन औद्योगिकरण में ध्यान दे रहा है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले का नाम अपर पर है इसके बाद तराईमाल की मां बंजारी प्रांगण जो कि जनसुनवाई की धर्मशाला बन चुकी है इसके लिये रायगढ़ प्रशासन को धन्यवाद देता हूं। रायगढ़ के क्षेत्रवासियों के साथ बहुत बड़ खेलवाड़ हो रहा है इसका अंत कब होगा पता नहीं इसमें पैसा का भी बहुत महत्व है। जनसुनवाई के पहले शासन प्रशासन क घोर विरोध करता हूं। रायगढ़ प्रशासन प्लांट से ठेका लेके जनसुनवाई करवा रही है शुरु से आखिरी तक की जिम्मेदारी रायगढ़ प्रशासन की होगी ये लिख दी जाये ई.आई.ए. में ये ज्यादा सुटेबल होगा मेरे ख्याल से। आदमी विरोध समर्थन करें क्या मतलब इस चीज का जब से मैं जनसुनवाई विरोध के मंसा से आया हूं तब से 20 जनसुनवाई इस सत्र में हो चुकी है पिछले नवम्बर से अभी दिसम्बर तक 20 जनसुनवाई उससे भी पहले हुई होगी उसका भी डाटा दूंगा मैं आपको। रायगढ़ प्रशासन को सैकड़ों जनसुनवाई का अनुभव है आगे भी होता रहेगा। वर्तमान में पीटासीन अधिकारी का आटवां जनसुनवाई है आज नौवां चल रहा है और पर्यावरण अधिकारी का 20 से ज्यादा होगा इतना अनुभव है। इसी सत्र में बंजारी प्रांगण में 12 जनसुनवाई हुई है जो कि इस सत्र की तेरहवीं है दिनांक 03.03.2021 को एनआरव्हीएस की जनसुनवाई चली थी 05.03.2021 एनआरव्हीएस पूंजीपथरा की जनसुनवाई

चली 10.03.2021 बुधवार को बीएस स्पंज का 24.03.2021 बुधवार को एसएस एण्ड पॉवर लि. 07.04.2021 बुधवार को अग्रोहा आयरन पाली की, 28.07.2021 बुधवार सिंघल इंटरप्राइजेस की 11 से 02 के टाईमिंग में जनसुनवाई खतम हो गया था यहीं है विशेष 10.08.2021 शनिवार को मेडिकल वेस्ट प्लांट पूंजीपथरा यहीं बस निरस्त हुआ क्योंकि इससे तराईमाल या आसपास के लोगो को फर्क पड़ता या पैसा का महत्व नहीं मिला इनको इसलिये यह अपवाद है जो निरस्त हुई जिला प्रशासन में दम है तो इसे चालू करके देखें इससे जिला का फायदा है लेकिन जनसुनवाई फेल होने पर प्लांट नहीं लगेगा। रायगढ़ प्रशासन कुछ भी कर सकती है औद्योगिकरण के लिये इसे भी संचालित कर दें। दसवां महीना मंडप सजा था जनसुनवाई का जो कि 03 जनसुनवाई लगातार हुई मतलब एक मंडप में 03 शादी बराबर 23.10.2021 दिन शनिवार वैज्रान इंडस्ट्री का, 25.10.2021 सोमवार को शांभी की जनसुनवाई चली 29.10.2021 को एनआरव्हीएस तराईमाल की जनसुनवाई चली और सफल हुई क्योंकि ये सब खिलाड़ी प्लांट थे। 10.11.2021 बुधवार को सतगुरु की 13.11.2021 को राधेगोविन्द की जनसुनवाई हुई 2022 के सत्र में मैं अपेक्षा करता हूं 26 हो जाये यहां से ग्रामवासियों को भागना पड़े ज्यादा उचित रहेगा। एक स्थान पर इतनी जनसुनवाई तो आजु बाजु के गांव में कितने प्लांट होंगे। पूंजीपथरा जिंदल पार्क में 36 प्लांट है तराईमाल में 06 प्लांट उज्जवलपुर में 01 गोरवानी में 04 प्लांट चिराईपानी व पाली में 02 प्लांट सराईपाली में 05 देलारी में 03 प्लांट को यही बात समझ आती है। जो ये चला रहे थे उससे डबल करना चाहते है। जितने भी अधिकारी जनसुनवाई में आते है मेन गेट से आते है लेकिन आज उलटा हुआ है। मेन गेट के पास जितने भी लोगो का एन्ट्री हुआ है उसका सबुत है और रजिस्टर गायब हुये है उसका भी सबुत है मेरे पास। आज की जनसुनवाई निरस्त होनी चाहिये क्योंकि शुरू से लेकर आखरी तक गलत चली है। किसान लोगो का क्या होगा जिसकी फसल नुकशान हुये है। बंजारी मंदिर जनसुनवाई का धर्मशाला बन गई है। मैं जनसुनवाई का घोर विरोध करता हूँ, जब से मैं यहा विरोध की मनसा से आया हूँ तब से आज तक लगभग 20-25 जनसुनवाई हो चुकि है। पीठासीन अधिकारी का आज लगभग 9वां जनसुनवाई है और पर्यावरण अधिकारी का तो रायगढ़ जिले में 20-25 जनसुनवाई का अनुभव हो चुका है। तीसरे माह में 03 जनसुनवाई हुई, 11-02 के बीज में जनसुनवाई पूर्ण करवा दिया गया। 10वां महिना में यहा मंडप सजा था 03 जनसुनवाई लगातार हुई। ये तीनों जनसुनवाई 10 दिवस के भीतर हुई क्योंकि ये सब नामी प्लांट थे। इसी तरह लगातार यहा जनसुनवाई चली। यहा 13 जनसुनवाई इस सत्र में हुई है मैं चाहता हूँ कि यहा इस सत्र में 26 हो जाये ताकि लोगो को यहा से भागना पड़े। तराईमाल में 06 प्लांट, उज्जवलपुर में 01 प्लांट, गोरवानी में 04 प्लांट, चिराईपानी में 02 प्लांट, पाली में 02 प्लांट, सराईपाली में 05 प्लांट देलारी में 03 प्लांट, इस रेडियस में तराईमाल से घूमे जितने भी गांव का नाम लिया हूं ये सिर्फ 03 किलोमीटर के रेडियस में आते हैं 03 किलोमीटर के रेडियस में 56 प्लांट आ सकते हैं तो 10 किलोमीटर के रेडियस में

कितने प्लांट आ सकते हैं। 56 प्लांट का प्रोड्यूस लेवल 2 गुना है 56 दुने 112 होता है। सुनिल स्पंज का आंकड़ा देखें स्पंज का 1,75,000 टीपीडी से 3,46,000 टन है तो ये दुगुना हुआ तो मैं इसमें भी दुगुना करना चाहूंगा 56 प्लांट दुगुना चल रहा है जो कि 112 प्लांट 03 किलोमीटर के दायरे में मायेन रखता है। इसका प्रमाण मांगने से मिलता नहीं है क्योंकि जिला प्रशासन इनकी संरक्षण करेगा। औद्योगिकरण का संरक्षण के जवाबदारी जिला प्रशासन रायगढ़ लेती है। जनसुनवाई का अध्यक्षता कर रहे पर्यावरण संरक्षण पीठासीन अधिकारी औपचारिक रूप से इस जनसुनवाई में आ जाते हैं पीठासीन अधिकारी से ज्यादा जवाबदारी पर्यावरण अधिकारी की होगी। मैं कई बार बोला हूँ जहां तक मेरी समझ है मैं भी सीजीपीएससी एसपिरांट हूँ राजनेता के पश्चात् अधिकारी जो शपथ लेते हैं वो पर्यावरण अधिकारी लेते हैं प्रति संरक्षण जो कि पर्यावरण का उल्लंघन नहीं करूंगा परिसंरक्षण दूसरों को उल्लंघन करने नहीं दूंगा तीसरा संरक्षण नियम के तहत दूसरों को या खुद को रोकना ये संरक्षण के क्षेत्र में आता है ये तीनों पॉइंट की शपथ लेते हैं तो जनसुनवाई में किसी प्रकार के शपथ का पालन कर रहे हैं पर्यावरण अधिकारी जितनी भी जनसुनवाई बंजारी प्रांगण में हुई है उसमें विरोध समर्थन जानकारी पर्यावरण और पीठासीन अधिकारी किसी को नहीं देते हैं। समर्थन का फायदा और विरोध का घाटा क्या होता है इसका समझाईश नहीं देते हो आप लोग जबकि ये आपका कर्तव्य है जब ग्रामीण आदमी जागरूक नहीं होग तो किस चीज का समर्थन विरोध करेगा। आपका का कर्तव्य है उन्हे समझायें और आप नहीं समझा रहे हैं तो आप यहां औपचारिक रूप से बैठे हैं पीठासीन अधिकारी पर्यावरण अधिकारी आपको हक नहीं है इस चीज का। इनको जानने और पूछने का अधिकार है कि ये विरोध और समर्थन क्यों कर रहे हैं। ये सिर्फ टाईम पास का जरिया हो सकता है एक ठो। अगर कोई एक लाईन में समर्थन बोलकर चले जाते हैं तो विश्वास हो जाता है क्षमता बढ़ जाता है वहीं विरोध कर दे तो भावुक हो जाते हो। इस क्षेत्र का वासी जमीनी स्तर पर ही बात करेगा खेती जमीन पौधे पानी इसी के बात करेंगे। पर्यावरण याने परि धन आवरण हमारे आसपास का वातावरण जिसमें विभिन्न प्रकार के पारिस्थिक तंत्र है, प्रकृति, वायु, मृदा है इन सबसे मिलाकर बनता है पर्यावरण जनसुनवाई में बोलते हैं पर्यावरण पर बात कीजिये। पर्यावरण प्रदूषण से पहले यह समझना होगा प्रदूषण क्या है। दूषित पदार्थ के कारण समाज में जो समस्या उत्पन्न होती है, उसे प्रदूषण कहते हैं जब प्रकृति के घटक जल जंगल वायु जमीन प्रदूषित होते हैं तो वे पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं पर्यावरण प्रदूषण आज की सबसे बड़ी समस्या है इस बंजारी परिसर में 12 जनसुनवाई समस्या तो होगा ही जिसके लिये नियम कानून बन रहे हैं वो सिर्फ कागज की गुत्थी बन जायेगी। उसका जमीनी स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर्यावरण जैव विविधता संरक्षण ये सब का मतलब नहीं है जनसुनवाई में कोई बता दे मुझे नियम से ज्यादा पैसा का महत्व है जो दिख रहा है यहां मेन द्वार से नहीं साईड से तो आ सकते हैं। आज कि जनसुनवाई इललिगल तरीके से हो रहा है। पर्यावरण क्या है इसके घटक क्या हैं क्या नेगेटिव पॉजिटिव पक्ष हैं पर्यावरण

परिस्थिति व प्रकृति पर पड़ने वाला प्रभाव संपूर्ण प्रभाव है जो उनके जीवन विकास एवं कार्य को प्रभावित करता है इसको समझियें। पर्यावरण जीवन विकास को प्रभाव करता है मीन्स हम जैसे लोग पर प्रभाव पड़ेगा। जब लोगों को पर्यावरण पर बोलने का अधिकार नहीं तो उनके बच्चों को पर्यावरण पढ़ने का अधिकार नहीं है बंद करवा दें शासन। पर्यावरण प्रदूषण आज हमारे ग्रह पर मानवता और अन्य जीवन रूपों पर सामना करने वाली सबसे गंभीर समस्या बन चुकी है पर्यावरण प्रदूषण वायुमंडल को भौतिक और जैविक घटकों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सदूषण मतलब इसे प्रदूषण एवं स्वच्छ भी कह सकते है। इस जनसुनवाई से तराईमाल लाखा जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है उसका विनास हो चुका है। सामान्य पर्यावरणीय प्रतिक्रिया के अनुकूल जो प्रभाव होता है प्रदूषण प्रकृति के रूप से पदार्थ या उर्जा हो सकती है लेकिन अधिक मात्रा में होने पर उन्हे दूषित भी माना जा सकता है जिस प्रकार जो संचालित है उसे दुगुना करें तो प्रदूषण बढ़ेगी। प्राकृतिक संसाधनों की किसी भी दर का उपयोग प्रकृति द्वारा स्वयं को पुर्नस्थापित करने की क्षमता अधिक होने पर वायु, जल और भूमि प्रदूषण परिमाण हो सकता है मेरे बात को कोई ध्यान नहीं दे रहा है शायद पर्यावरण मुद्दा चल रहा है और अधिकारी बोलते हैं पर्यावरण मुद्दे पर बात करो यही होता है पर्यावरण मुद्दा जन लोगों का कोई संबंध नहीं है पर्यावरण से अधिकारियों के सामने पर्यावरण विषय पर बात होना चाहिये। वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण के संरक्षण के लिये क्यो विभिन्न जागरूक तथा दिवस मनाते हैं जनसुनवाई दिवस का कार्यक्रम मना लेते। क्यो इस प्रकार का ढकोला पर्यावरण दिवस, ओजोन दिवस, जल दिवस, पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस और दूसरी तरफ जनसुनवाई कार्यक्रम का विस्तार कर रहे हैं। जिला प्रशासन रायगढ़ के लिये पर्यावरण दिखावा है सामने से बता रहे हैं पर्यावरण मुद्दा है इस पर बात करें। पर्यावरण प्रभाव निसंदेह कोई व्यापक है प्रदूषण अत्यधिक प्रभाव से मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है मेरे बात कोई गौर कर रहा है क्या नहीं क्योंकि पर्यावरण मुद्दा चल रहा है। पर्यावरण मुद्दे पर बात हो रही है रात तक जनसुनवाई हो सकती है अगर करना चाहे तो मेरा अधिकार है मैं पूरा बात बोलूं। वायु प्रदूषण का विषय हमारे रायगढ़ वासियों के लिये ध्यान देने वाली बात बन चुकी है। वायु हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घटक है हम बना खाये पीये रह सकते है लेकिन बिना वायु के नहीं रह सकते अगर जिस वायु से हम सांस लेते है वही प्रदूषित हो गई तो हमारा निश्चित ही विनास तय है रायगढ़ क्षेत्र को मैं वायु प्रदूषण के दायरे में ले रहा हूं रायगढ़ प्रशासन औद्योगिकरण मकें आगे बढ़ रही है कल मैं ज्ञापन सौंपने कलेक्टर परिसर गया वहां दो विशेष चीज पर नोटिस किया। कलेक्टर परिसर में एक तरफ लिखा है सुधर रायगढ़ उसके पीछे स्मार्ट डिस्ट्रे चल रहा है जिसमें वातावरण का अनुकूल मानक पैमाना दिखाया जा रहा है कि नाइट्रोजन, सल्फर, आक्सीजन, कार्बन डाईऑक्साईड इतना नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया इतना। मैं छत्तीसगढ़ के कम से कम 20 से 25 जिले में जा चुका हूं कहीं भी इस प्रकार का डिस्ट्रे नहीं लगाया गया है उनका संदर्भ नाम है अपना बिलासपुर

हमर बिलासपुर मोर रायपुर चलो समझ में लाता है सुधर रायगढ़ ठीक है पर नाम का है पर नाम का है डिस्ले लगाने का औचित्य कारण क्या था इस प्रकार का डिस्ले क्यो लगाना पड़ा रायगढ़ में इसका पॉजिटिव थिम क्या है क्या दिखाने चाहते है कि हमारे रायगढ़ शहर का नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड सही है लेकिन इसमें भी वह रायगढ़ क्षेत्र के 03 कि.मी. के अंदर के दायरे का मानक बता रहा है इसमें भी यह नहीं बता रहा कि तराईमाल क्षेत्र का यह मानक पैमाना है या मौहापाली का है या तमनार क्षेत्र का है उसमें कोई स्पेशिफिक नहीं है क्या चाहते है कोई रायगढ़ पहुंच गया तो सामने में सुधर रायगढ़ और पीछे में नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड का मानक दिख गया तो औद्योगिकरण सही चल रहा है कोई प्लांट डिस्ले को स्पॉन्सर किया होगा कि हमारे संरक्षण में आप लगाईये। अमोनिया, आक्सीजन, सल्फर डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइआक्साइड उत्सर्जित होते हैं सबको पता है उनके ई.आई.ए. में भी लिखी है कि मात्रा इतनी इतनी है। डिस्ले को देखें और ई.आई.ए. को देखे तो औद्योगिक के कारण ही डिस्ले लगाना पड़ा। उसका स्पेशिफिक कारण यहीं है कि औद्योगिकरण के लिये वह डिस्ले लगाना पड़ा आदमी को उल्लू बना रहे हैं बाहर से आदमी आया तो उसको दिखा रहे हैं जमीनी स्तर पर उसके आंकड़ा का इतना डिफरेंस होगा कि मैं बता नहीं सकता। जब सुनिल इस्पात अपने ई.आई.ए. में बता रहा है कि सल्फर 2.0 से 18.4 माइक्रो घन मीटर होता है नाइट्रोजन डाईऑक्साइड 14.2 से 45.6 माइक्रो घन मीटर, कार्बन डाइऑक्साइड 647 से 1547 तक का होता है। जब इस प्रकार का प्रोड्यूस करेंगे तो इसका लेवल भी तो दुगुना होगा। ई.आई.ए. में फर्स्ट स्टेप में जो प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी देते हैं ये। सेम जानकारी कॉपी पेस्ट कर दिये हैं प्रोड्यूस इतना हो रहा है तो सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो डबल होने चाहिये। यहां उपस्थित सभी को बताना चाहता हूं कि इनको पता नहीं होगा कि पीएम2.5 व पीएम10 क्या है नाइट्रोजन, अमोनिया, सल्फर तो समझा चुका हूं शायद इनके दिमाग में जा चुका हो। पीएम2.5 यह हवा में घुलने वाला ऐसा छोटा सा कण है जिसका व्यास 2. माइक्रो घन मीटर इसको नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता सूक्ष्मदर्शी लगेगा इसके लिये उदाहरण देखें तो सरसों के दाने के सौवें हिस्सा के बराबर यह होता है इसके बारे में कोई बाताता है कि पीएम2.5 क्या होता है ई.आई.ए. में लिख देते हैं इससे ज्यादा नहीं होगा। सबसे बदनाम प्लांट है ये सुनिल इस्पात लाखा क्षेत्र में। पी.एम.10 वो पार्टिकुलेट है जिसका 10 माइक्रो मीटर से कम व्यास का होता है मतलब सरसों के दाने के 50 भाग के बराबर होता है क्योंकि वे आंखों से दिखते नहीं हैं मुझे नोटिस भेज दीजिये मैं क्युं इतना मेहनत करके नोट बना के लाता। रात तक भी जनसुनवाई चल सकता है। जहां जनसुनवाई हो रही है वहां बुनयादी होता है पीएम2.5 व पीएम10 अमोनिया, नाइट्रोजन व सल्फर का सबसे पहले बताना चाहिये कि प्लांट किना प्रदूषण करेगी जब इतना ही कर रही है तो प्रदूषण की श्रेणी में ही आयेगा। कुछ डाटा प्रदर्शित कर रही है मतलब पर्यावरण पर असर कर रही है। जल प्रदूषण तब होता है जब प्लांट के अपशिष्ट को झील, तालाब व नहर

में छोड़ा जाता है। यहां ऐसे प्लांट है जो नदी से पानी लेके पॉवर जनरेट कर रहे हैं। एक प्लांट में 20 बोर खोदवा के रखें हैं उससे इतना पानी निकाल रहें हैं वो भी पर्यावरण में आता है। पानी का बिल 01, 02 व 03 करोड़ तक आता है। लाखों किसान की बात सुनी जाये तो मैं ये मंच छोड़ता हूं वो मेरे भी साथी हैं वो अपने अधिकार पर बात करेंगे। मुझे रिकॉर्ड चाहिये की इतना टाईम पीरियड तक मैं बोला।

761. लक्ष्मीकांत दुबे, रायगढ़ - माँ बंजारी के परिसर में इस तरह के जनसुनवाई का आयोजन नहीं होना चाहिये। सीएसआर मद से जनसुनवाई भवन बनवा दीजिये यहां। आज की जनसुनवाई 11 बजे निर्धारित की गई थी चूंकि गेट में धरना प्रदर्शन हो रहा, नारेबाजी कर रहें हैं सबसे दुर्भाग्य बात है आप लोगों को भी मुंह छिपा कर आना पड़ा। इससे ज्यादा प्रशासनिय दादागिरी नहीं हो सकती। बोलने का समय निर्धारित कर दीजिये उतने ही टाईम में हम अपनी बात को रखेंगे पावती नहीं मिलने की भी शिकायत है। मुख्य गेट से न आकर आप अलग द्वार से आते हैं वहां बहुत महिला, बच्चें हैं जो अपना बात रखना चाहते हैं, युवा है किसान है वे अपना विरोध दर्ज कराने आये हैं उनका गांव का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति देखते सर, आप वहां नहीं जायेंगे क्योंकि आप तो उद्योगपतियों के लिये आये हैं सर। जनसुनवाई में समय काटकर समर्थन दिलवाना हैं वो लोग फूलगोभी, मूली लेकर आये हैं उनका क्या स्थिति है ये वो इसे ही बच्चों का खिला रहे हैं सरकार कहती है पौष्टिक आहार दो। मैं देखा की कुछ लोग पर्यावरण अधिकारी के कार्यालय में गये ज्ञापन दिये उनके मांग पर कोई कार्यवाही नहीं किया गया और आज जनसुनवाई में आ गये। क्या इस क्षेत्र के प्रभावित लोग हैं वे लोग मायेन नहीं रखते। आज का जनसुनवाई अवैध है पूर्ण दादागिरी के साथ किया जा रहा है। इतने पुलिस बल लगा के क्या सिद्ध करना चाहते हैं एक व्यक्ति विरोध कर रहा है तो पूरा पुलिस बल लगा के छावनी में बदल दिया जा रहा है। ऐसी ही जनसुनवाई करनी है तो मत करवाईये ऐसे ही दे दीजिये उनको समर्थन। क्या प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग ही खुलेंगे इस क्षेत्र में दूसरा उद्योग नहीं खुल सकता क्या, आई.टी. सेक्टर के उद्योग खोलिये कौन मना कर रहा है। बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलिये उससे भी कमाई होगी लेकिन आपको अतिरिक्त इनकम है वह नहीं मिल पायेगा। मेरे पास कुछ आंकड़े है यहां जिला जनसंपर्क अधिकारी को भी बुलाये जाना था वे बात सम्मिलित करते कि उस उद्योग से पूर्व लोगों को क्या क्या लाभ होता उद्योग के बाद लोगों को क्या क्या लाभ होगा। कितने बेरोजगारों को पूर्व में बाद में रोजगार मिला। फसल के पहले और फसल के बाद क्या स्थिति है लिस्ट को देखिये बि.पी. एल. कार्ड 04 गुना बढ़ गया है विकास होता तो बि.पी.एल. कार्ड की संख्या थोड़ी बढ़ती। जिला जनसंपर्क अधिकारी की एक रिपोर्ट भी सम्मिलित होनी चाहिये जिसके माध्यम से प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज पोर्टल के माध्यम से। इस उद्योग के पूर्व सभी उद्योग का विरोध है आप बता दें सर कि यहां प्रदूषण इतना फैल चुका है कि यहां कोई जनसुनवाई या उद्योग की क्षमता विस्तार की यहां गुंजाईश नहीं है। आई.टी. सेक्टर के उद्योग लगाईये जिससे प्रदूषण न हो। रास्ते में आये तो देखें है तो देखें होंगे किस प्रकार की

स्थिति है बड़े बड़े वाहन चल रहे हैं तारपोलिन से भी नहीं ढक रहे हैं। बीच में न्यूज पेपर में प्रकाशित हुआ कि लात नाला में फ्लाइंग ऐश डम्प किया जा रहा है आपसे मीडिया के लोग संपर्क किये आप लोग बोले कल भेजेंगे आपको तुरन्त भेजना चाहिये था आप समय दे रहे हैं आप सुधार कर लीजिये हम कल आयेंगे। ऐसे जनसुनवाई में रोजगार अधिकारी को भी शामिल किया जाये उसकी रिपोर्ट सम्मिलित कीजिये ई.आई.ए. में उसकी भी रिपोर्ट सम्मिलित की जाये। वर्ष 2001 से 2020 तक 2,20,563 बेरोजगारों का पंजीयन हुआ है ये जिला रोजगार कार्यालय का आंकड़ा है आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है कि आपके पास कि कितने स्थानिय बेरोजगारों को कितने प्लांट में रोजगार मिला, कितने जिले के लोगों, को बाहर के राज्य के कितने लोगों को रोजगार मिला जिला प्रशासन के पास कोई भी जानकारी नहीं है। यहां का प्रशासनिक व्यवस्था है उद्योगों पर लगाम लगाने के लिये पूर्णतः विफल है वो केवल नोटिस जारी कर सकती है इससे ज्यादा इनकी हिम्मत नहीं है वे या तो बंधे हुये हैं जो ईमानदारी से काम करता है उनका ट्रांसफर करा दिया जाता है या आपको उद्योगपति या सत्तापक्ष के इशारे पर काम करना पड़ता है। राजस्व भी इतनी हाई हो गई है मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसको मैं सार्वजनिक करना चाहता हूं। ये जल संसाधन विभाग से मैंने आंकड़े निकलवाये हैं सर देखिये कितनी कंपनियों का बकाया राशि बाकी है। 50 करोड़, 21 करोड़, 09 लाख, 01 करोड़, 05 करोड़, 13 करोड़ ऐसे बकाया बाकी है कार्यवाही के नाम पर क्या किया जाता है संबंधित अधिकारी द्वारा उद्योग पर वसूली हेतु आरसीसी जारी इतना ही करके इतिश्री कर देते हैं ज्यादा अधिकारी काम करता है तो प्रकरण न्यायालय विचाराधीन है। जिनकी वसूली बाकी है नहीं करना वसूली तो बंद कर दीजिये सर तालाबंदी कर दीजिये। आप तो उनको संरक्षण दे रहे हैं इनकी भरपाई कैसे होगी सर इतने राजस्व का नुकसान हो रहा है ये जल संसाधन विभाग के आंकड़े कह रहे हैं तो वसूली कैसी होगी सर कोई नियम है तो बतायें सर मैं भी जानना चाहूंगा और वसूली नहीं हो रही है तो ई.आई.ए. में उन अधिकारियों के अभिमत क्या नहीं लिया जा रहा है। यहां की फसल चौपट हो रही है बाहर में फूलगोभी की हालत देखा वो डस्ट से लपटाया हुआ है। न्यूज में पोर्टल चला था कि इस क्षेत्र कि जनता परेशान है विरोध दर्ज करा रही है जनसुनवाई के विरोध में उतर गये हैं उसके संदर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की आपको केवल जनसुनवाई में बैठना है। हमारी बात आप पहुंचायेंगे या नहीं आप उद्योग की बात जरूर पहुंचा देते हैं। लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को भी नहीं बुलाया गया है न ही रिपोर्ट सबमिट कराया गया है। इस क्षेत्र के जो बोर, तालाब नल है उनकी स्थिति देखिये क्या वह पीने योग्य है ऐसे भी कोई जानकारी उसमें नहीं है। लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग यहां रिपोर्ट प्रस्तुत करती जिसमें यहां की पानी गुणवत्ता जांच होती। रायगढ़ स्टेडियम में वायु मशीन है वह चालू नहीं है पीछले तीन महीने से देख रहा हूं मैं मुख्यमंत्री जनदर्शन में भी गया था मेरे लेटर को कलेक्टर साहब को ट्रांसफर कर देते हैं कलेक्टर साहब पर्यावरण अधिकारी को ट्रांसफर कर देते हैं और वह मामला ऐसे ही पेंडिंग रहता है आज

तक रिजल्ट नहीं आया लगभग तीन महीना हो गया आपको जानकारी होगी सर आपके पास कॉपी आया होगा। यहां जो पुलिस है वो हमारे सुरक्षा के लिये हैं लेकिन इससे लोगों में गलत मैसेज जा रहा लोग डर के माहौल में हैं मालाकार जी को बालने नहीं दिया गया पूरा प्रशासनिक अमला घेर लिया कहां का आदेश है कितना समय बोलना है कि 10 मिनट बोलना है उसके बाद हमें निकालियें अरे सर वो अपराधी थोड़ी है, बाहर के लोगों को आप सुनने के लिये बाहर नहीं जा रहें हैं। यहां बोलने नहीं दे रहे 5 मिनट 10 मिनट का समय है बोल रहे हैं। आदेश निकाल दीजिये इतना समय में बोलना है करके। लात नाला मामलें में लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ उसके बाद पर्यावरण अधिकारी केवल 19 लाख का जुर्माना दिये हैं ये लोग जमा नहीं करेंगे नोटिस ये वो होगा फिर मामला न्यायालय में मामला विचाराधीन होगा एक बार एनजीटी जेएसपीएल का 162 करोड़ वहां जल का स्तर नीच हो गया था ये तमनार क्षेत्र की घटना है एनजीटी जेएसपीएल का 162 करोड़ का फाईन किया है वो अपील में चले गये। जिला प्रशासन विफल रहा है यदि जिला प्रशासन दबाव में है तो इस क्षेत्र की जनता उनके साथ है जिला प्रशासन साहस दिखायें आप लोग सम्मानिय पद व वैधानिक पद हैं कि आप जनता की बात सुनकर उपर वन पर्यावरण मंत्रालय व एनजीटी तक पहुंचाईयें कि प्रदूषण यहां ज्यादा पर प्लांट की यहां गुंजाईश नहीं है करके लेकिन नहीं करेंगे। इस क्षेत्र के एसडीपी तहसीलदार साहब को बुलाकर रिपोर्ट सार्वजनिक की जाये कि प्लांट से संबंधित कितने विरोध उनके पास दर्ज हैं कितने का परिणाम लगा कितने में राहत मिला ये उपलब्ध नहीं कराया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का रिपोर्ट आपके पास नहीं आया है जबकि उस क्षेत्र की 80 प्रतिशत जनसंख्या बीमार है। दमा है, इस्तोफिलिया हैं, प्रिमैच्योर बच्चों का जन्म हो रहा है बच्चे कुपोषित हो रहा है ऐसी बहुत समस्या हैं इस संबंध में भी कोई आंकड़े नहीं लिये गये हैं। इस क्षेत्र की जनता के साथ खिलवाड़ मत कीजिये आप काम नहीं कर पा रहें तो उपर एनजीटी तक बात पहुंचाईये लेकिन आप नहीं कर रहे। जब यहां क्षेत्रीय कार्यालय खुला था पर्यावरण का तब लोगों में हर्ष का भाव था कि हमारी बात उपर तक पहुंचेगी, प्रदूषण कंट्रोल होगी, अधिकारी अपना दायित्व निभायेंगे और लोगों को प्रदूषण से मुक्ति दिलायेंगे। सार्वजनिक कार्यालय जो उद्योग से संबंधित है उनके आंकड़े सार्वजनिक की जाये। इस उद्योग व पूर्व उद्योग से क्या लाभ व क्या हानि हुई कितने बेरोजगार वहां काम करते हैं कितने को कोरोना काल में मंदी का हवाला देते हुये काम से निकाल दिये सभी उद्योग की यही हाल है लेकिन आपने कोई कार्यवाही नहीं की। मैं निवेदन करुंगा सर इस क्षेत्र के जनता पुरुष, महिला, युवा, बच्चें है उनका भी एक बार सुन लीजिये और गांव का भी निरीक्षण कर लीजिये दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। इस क्षेत्र में प्रदूषण के कारण नर्क हो गया है उसको कोई रिकॉर्ड की आवश्यकता नहीं है खुले आंख से आप लोग देख सकते हैं। वायु गुणवत्ता की जो मशीन लगी है कलेक्टर जिला कार्यालय में वो 04 दिन तक चल ही नहीं रहा था। इसके संबंध में भी मैंने शिकायत किया है। उसमें कोई आंकड़े नहीं आते। वह डिस्प्ले किसी

उद्योग के सौजन्य से लगाई गई है यदि कोई उद्योग निजी सौजन्य से डिस्प्ले लगाती है तो इसमें कितनी सच्चाई है स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। दुर्भाग्य की बात है रायगढ़ के शासकीय कार्यालयों के पास स्वयं का बोर्ड लगाने का पैसा नहीं है ये बात आप माननीय मुख्यमंत्री एवं अपर सचिव तक पहुंचाईये। एक यातायात थाना में देखिये मेसर्स उद्योग का नाम लिखा है वो लगवा लीजिये आपके पास पैसे नहीं है तो खाली पेन्ट करा दीजिये सर इतना बड़ा डिस्प्ले लगाकर पब्लिसिटी करवाना नहीं है। महिला थाना में पाईप कंपनी अपना वो लगा रही है इससे पहले और थाना में इस प्रकार का म चल रही है। उद्योग को सहारा क्यों लिया जा रहा है शासकीय विभाग में पैसा नहीं है क्या बोर्ड लगवाने के लिये कि आप लोग उस उद्योग की गुणगान करना चाहते हैं कि उद्योग बोर्ड लगा के दे दिया मामला कुछ समझ नहीं आ रहा सर क्या उद्योग बोर्ड नहीं लागयेगा तो बोर्ड नहीं लगेगा सर। विकास क्या हुआ सर। सड़क पर देख रहे हैं कितना प्रदूषण है यही कारण है सड़क दुर्घटना का। रायगढ़ का धनत्व ज्यादा है यहां जितनी जनसंख्या है उससे चार गुना ज्यादा जनसंख्या है। एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर साहब के पास कोई आंकड़ा नहीं है कि कितने व्यक्ति उद्योग में काम करते हैं, उनका चरित्र प्रमाण पत्र संबंधी कोई भी दस्तावेज आपके उद्योग में नहीं हैं जिसके कारण निरंतर अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है वहां 4000 लोग काम करते हैं उनमें से 40 का भी डाटा नहीं है आपके पास। कुछ लोग जो अशिक्षित हैं उनको नहीं पता कि विरोध कैसे करना है कुछ लोग यहां आकर विरोध करने से डर रहे हैं कि विरोध करने से धमकाया जा रहा है करके। सुबह से लोग 8 बजे से विरोध करने बैठे हैं कि माननीय पीठासीन व पर्यावरण अधिकारी आयेंगे उनकी बात को सुनेंगे उनकी 13 सूत्रीय मांग है। ये देखिये सर ये विरोध का माहौल है वहां पर जो लोग विरोध में आये हैं उनको सुने सर। उधर से आत तो उनके 13 सूत्रीय मांग को जानते सर। यातायात विभाग से सड़क दुर्घटना का कोई आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया गया है, 2001 से पहले के सड़क दुर्घटना का कोई आंकड़ा नहीं इस प्रकार कोई तुलनात्मक आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया गया है। मेसर्स सुनिल इस्पात द्वारा जो ई.आई.ए. प्रस्तुत किया गया है वो पूर्णतः गलत है किसान को, राजस्व को, आंगनबाड़ी के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, युवाओं को जा नुकसान है सड़क दुर्घटना में जो मौत हो रही है इससे संबंधित कोई भी आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिये इस जनसुनवाई को निरस्त किया जाये। ऐसे बहुत सी कमियां इस रिपोर्ट में है जो पर्यावरण पर प्रभाव डाल सकते हैं परन्तु सम्स्त विभागों से इकट्ठा कोई भी जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है और रिपोर्ट को गुपचुप तरीके से बना लिया गया है। ई.आई.ए. में नियुक्त प्रतिनिधि इस क्षेत्र के जीवविज्ञान आदि का ज्ञान नहीं है जिससे सामाजिक दृष्टि से इस परियोजना का सही अवलोकन नहीं हुआ है। यह कि शुरुआती दौर में जनता दायित्व में अहमियत देना चाहिये इस विषय के जानकार पर्यावरण विद, शिक्षा विद, चिकित्सक, प्रभुत्व जन की राय नही ली गई है जिसके कारण वास्तविक समस्या को शामिल नहीं किया गया है तथा सही निष्कर्ष नहीं निकल सक रहा है इस संबंध में

सार्वजनिक सूचनायें सम्मिलित नहीं किया गया है और ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किया गया है। यह कि इस क्षेत्र के स्थानिय तत्वों को समस्याओं को शामिल नहीं किया गया है न ही शासकीय विभागों के पूर्व व वर्तमान के तुलनात्मक व दस्तावेज आंकड़े प्रस्तुत नहीं किया गया है इससे पहले क्या लाभ हानि हुई और अब क्या लाभ हानि होगी। इस जनसुनवाई में जनता प्रतिनिधि 05 विधायक व सांसद हैं उनसे भी कोई राय नहीं ली गई है और न ही उन्हें यहां आमंत्रित किया गया है। रोजगार संबंधी कोई जानकारी नहीं है इस उद्योग द्वारा कितने बेरोजगारों को लाभ हुआ है। 2001 से लेकर 2020 तक 2,20,563 इस बात को हम बार बार बोल रहे हैं क्यों कि सुनवाई नहीं हो रही है शायद एक बार, दो बार नहीं तो तीन बार में होगा इसी आशा के साथ अपनी बात को बार बार रख रहा हूं मेरा निवेदन है कि वो सब सम्मिलित हों। साइबर सेल के माध्यम से भी इसका विरोध हो रहा है इसमें भी समस्या का अवगत कराये गये इस पर भी कोई निर्णय नहीं हुआ न ही साइबर सेल से रिकॉर्ड लाना उचित समझा। यहां एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस अधीक्षक यहां है सभी प्रशासनिक अधिकारी को भी इतना दबाव बनाया जाये कि वो विरोध नहीं कर सकते करेंगे तो स्थानांतरण कर देंगे वो हमारे पक्ष में हैं क्योंकि हमें जो कष्ट हैं उन्हें भी वही कष्ट है। ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र के टी.आई. क्षेत्र परेशान नहीं है कि उनको भी सबसे ज्यादा परेशानी है आय दिन विरोध आन्दोलन है कही न कही दबाव है तो मैं निवेदन करता हूं यही निरस्त किया जा सकता है। एक एक पुलिस अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी का अभिमत यहां दर्ज किया जाये। माननीय पीठासीन व पर्यावरण अधिकारी से भी अनुरोध है कि वे भी अपना विचार रखें कि इस उद्योग से क्या हानि क्या लाभ है आप लोग दे देते हो एन.ओ.सी. और उनको मिल जाता है समर्थन उसके बाद वो लगातार नियमों की अवहेलना करते हैं आप बस नोटिस जारी कर देते हैं आपका काम खत्म। जल संसाधन के अनुसार इतने उद्योग का जल बिल बकाया है ये कब तक इसका वसूली कब तक होगी इतना बता दीजिये। अगर वसूली नहीं कर पायेगा जिला प्रशासन तो ऐसे उद्योगों का तालाबन्दी करें। 2,20,563 बेरोजगार हैं उनको कितने दिन के अंदर रोजगार मिलेगा और ये आंकड़े जिला प्रशासन कब तक सार्वजनिक करेगा। ये प्रशासनिक रिकॉर्ड है सर प्रमाणित दस्तावेज है सर। इस तरह दबावपूर्वक जनसुनवाई मत करवाईये सर। एनसीसी व एनएसएस के बच्चों को लगाईये सर स्काउट गार्ड के बच्चों को लगाईये शांति व्यवस्था में। शिक्षाकर्मी टीचर को क्यों नहीं बुलाया जाता बाकी में तो बुलाया जाता है। अभी साहब बोल रहें है चलिये करके अभी कोई समर्थन करने आये तो 02 घण्टा बोलेगा तो उसे चल करके नहीं बोलेंगे। बहुत दुखी मन से मंच छोड़ रहा हूं प्रशासनिक दादागिरी से ये जनसुनवाई हो रहा है। मैं इसका पूरजोर विरोध करता हूं इस तरह की जनसुनवाई भविष्य में आयोजित न की जाये लोगों के मन में भय बनाकर इस तरह के जनसुनवाई का आयोजन न किया जाये सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को गंभीरता से सुने होंगे और उसका निराकरण करेंगे।

762. – हम न विरोध में है न समर्थन में है हमारे 13 सूत्रीय मांगो को लेकर आये है। हम अपना 13 सूत्रीय मांग इनको सौंप रहे है (1) संयंत्र से निकलने वाला काला धुंआ पूर्ण रूप से निकासी बंद हो (2) संयंत्र के विस्तार प्रयोजना से प्रत्येक किसान को 5000 रुपये क्षतिपूर्ति प्रदान की जाये (3) सीएसआई द्वारा नवीन उपकरण स्थापित किया जाये (4) मेसर्स सुनिल इस्पात के प्रदूषण व पलाई ऐश डस्ट से सब्जियों परत जीम से बचाव द्वारा सभी दुकानों को सही मूल्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है अतः मेसर्स सुनिल इस्पात। मैं सिर्फ यहीं कहना चाहूंगा कि आप लोग पीछे के गेट से आये तो क्या जाते समय भी पीछे का रास्ता अपनायेंगे। अगर बोलदो कि पीछे से जायेंगे तो हम लोग वहां धरना डालेंगे हम लोग अपना दुखड़ा किसको बतायेंगे। समर्थन वाले पर्यावरण के बारे में बताये थे कि प्लांट से क्या फायदा होगा पर्यावरण को। चोरी करने वाला ही पीछे का रास्ता अपनाता सही काम करने वाला सीना तान के चलता है। आप सही होते तो आगे से आते न कि पीछे से। सुनिल इस्पात का गाड़ी पलटी हो गया था गाड़ी को ले आये डस्ट को कौन लायेगा उसे गांव वाले खायेंगे। सिर्फ यही बोल दीजिये सामने से जायेंगे या पीछे से। सुनिल इस्पात दिन में 80 लाख रुपये कमा रहा है हमारा 13 सूत्रीय मांग उसके 2 प्रतिशत के बराबर है उसको पूरा नहीं कर पा रहा है तो क्या करेगा वो। उसमें लिखा है 40 प्रतिशत मूलनिवासियों को काम देगा लेकिन गांव के 04 आदमी भी वहां काम नहीं कर रहे हैं। मैं काम मांगने गया था बोले जनसुनवाई के बाद आना, जनसुनवाई का काम खत्म नहीं हुआ और चिमनी का काम चालू हो गया उनको पूरा विश्वास है जनसुनवाई में पूर्ण रूप से समर्थन मिलेगा या आपके बात हो चका होगा तभी वो अपना काम पूरा कर चुके हैं। मेरे को जवाब चाहिये सामने से जायेंगे या पीछे से। मैं अपने परिवार के साथ आया हूं मेरी तीन साल की बच्ची भी आई है वो बोली क्या करने आयें हैं तो मैं बोला हक के लिये वो बोली साहब पीछे रास्ते से क्यूं गये हैं क्या वे गलत काम कर रहे हैं जब तीन साल की बच्ची यह सवाल पूछ रही है। परियोजना के संबंध में क्या बोलें सर आप लोग तो पीछे का रास्ता अपना रहे हैं। धन्यवाद।

763. – हम सुनिल इस्पात का न समर्थन करने आयें हैं न हम विरोध करने आयें हैं हम केवल ग्रामीण महिलाएँ जो प्रताड़ित हैं डस्ट से काला धुंआ से उनके लिये हम अपना मांग देने के लिये उपस्थित थे मेनगेट पे। महोदय जी उधर से नहीं आये अन्य गेट से आये इसके लिये हमें अन्दर से बहुत पीड़ा हो रही है। हम सिर्फ 13 सूत्रीय मांगों का विज्ञापन देना चाहते थे। इससे भी पूर्व हमारे गांव के युवा वर्ग गये थे पर्यावरण ऑफिस या जहां भी गये थे उसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। धूल डस्ट की वजह से किसी व्यक्ति को रायपुर तक रेफर किया जा रहा है आंख के लिये, सीना के लिये, फेफड़ा के लिये इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सुनिल इस्पात फैक्ट्री है। हम सिर्फ उनको अपना मांग के लिये बोल रहे थे वो बोले 09 व 11 तारीख को आकर जितने भी ग्रामीण जनता से मिलेंगे आज रात को जिनको जेब गरम करना था कर चुके। सुनवाई सिर्फ सुनिल इस्पात की हो रही है न कि हमारे गांव की पीड़ित व्यक्तियों की

हो रही है। मैं इस जनसुनवाई को घोर अपराध समझती हूँ। मेरे गांव के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको मैं स्वयं सरकार के ऊपर थोपती हूँ क्या जिम्मेदारी लेते हैं वो जाने

764. शसिता गुप्ता, लाखा - मैं अपने गांव को प्रदूषण से बचाने के लिये आई हूँ। हमारे गांव में जो डस्ट प्रदूषण है वो वो आने वाली पिढी पर अस्वच्छता है जो हमारे गर्भवती महिला को बोला जाता है हमारे ट्रेनिंग में शिशुवती को, किशोरी को हरा साग सब्जि खिलाओ ये सब कहा से खिला पायेंगे डस्ट को खिला रहे हैं आज हमारे जनता के लिये बहुत दुख की बात है हमारा किस्मत की फुटा है कि हमारा साथ कोई नहीं दे रहा है बस हमारे 13 सुत्रीय मांग को पूरा करें हमारे युवा को रोजगार दें हमको भी जीने दें और वे भी जी जायें। हम फैक्ट्री बंद करने नहीं न लड़ाई करने आये है हम अपना अधिकार मांगने आये हैं। शासन और स्वास्थ्य मंत्री, पर्यावरण मंत्री, कलेक्टर महोदय से हमारा निवेदन है हमारे लाखा गांव का बचा लें हमारे किसान को बचा लें। धन्यवाद।

765. कुलदीप - गांव वाले के साथ अन्याय हो रहा है। मैं गांव वालों के समर्थन में हूँ 13 सुत्रीय मांगो को जल्द से जल्द पूरा किया जाये नहीं तो उग्र प्रदर्शन किया जायेगा। इसकी जिम्मेदारी प्लांट की होगी शासन प्रशासन की होगी इसके साथ ही मैं अपना ज्ञापन सौंपता हूँ।

766. दिनेश कुमार बंजारे - मैं गांव वाले के विकास के लिये आया हूँ हम गांव के विकास के लिये आये है डमरा से हम यहां आज ज्ञापन सौंप रहे हैं अगर इनका 13 सुत्रीय मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। आप लोगों को हम लोग चेताने आये हैं।

767. कामेश्वर प्रसाद उनसेना - सुनिल इस्पात द्वारा फैलाये गये प्रदूषण के लिये जनसुनवाई हेतु आपत्ति हेतु ज्ञापन सौंपने आये हैं।

768. संजय सोनी - मैं आज पहला जनसुनवाई में आया हूँ। कोई भी विषय होता है हम उसके दोनो पहलुओं को देखते हैं मेरे आने से पहले लोगों ने प्रदूषण के बारे में कहा इन्होंने घरघोड़ा रायगढ़ रोड में जो इंडस्ट्री हैं उनसे बहुत प्रदूषण हो रहा है इसको कम करने के लिये प्रशासन व हम सबको कार्य करना चाहिये ये हम सब की जिम्मेदारियां है लेकिन एक उद्योग से सारा प्रदूषण नहीं होता कुछ हद तक होता है जिसे सुधार किया जा सकता है और मेरा अनुभव कहता सुनिल इस्पात कोशिश कर रहा है क्योंकि ग्रामवासी गये हैं तो उन्होने उसको सुना है। कोशिश रहीं है कि उनकी समस्या का समाधान किया जाये। जहां तक बात है रोजगार की कोरोना में यातायात व अर्थव्यवस्था ढप पड़ी हुई थी लोक कर्ज में डूबे थे परेशान थे उस वक्त मैं भी बेरोजगार था मुझे भी रोजगार की तलाश थी। उस समय सुनिल इस्पात का चालू होना और लोकल लोगों को रोजगार देना बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरा मानना है इसने लाभ पहुंचाया वहां के महिलाओं को, पुरुषों को, युवाओं को रोजगार दिया। आगे भी यही प्रयास है हमारे लोकल लोगों को अधिक से

अधिक रोजगार दिया जाये हर चीज में। मेरा समर्थन है ये प्लांट आगे बढ़े हमारे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुये सुचारु रूप से संचालित करें। धन्यवाद।

769. राहुल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

770. खीरसागर मालाकार, तराईमाल – मैं आज की जनसुनवाई का ड्रामा देख रहा हूँ कि लाखा चिराईपानी के नौजवान साथियों को बहला-फुसला कर अपने मार्ग से भ्रमित करके कुछ लोग ले आये हैं और वे लोग 20, 22, 24 साल के लड़के माईक पर आके फंद कर दिये हैं। मेरा उद्योग प्रबंधन से बात हुआ कि ये लोग क्यों नाराज क्यों हैं उनका कहना था कि ये 04 दिन पहले 01 किलो गोभी लेकर आये थे और 01 लाख मांग रहे थे। ये महज ही फंद है मेसर्स सुनील इस्पात ग्राम- चिराईपानी ग्राम पंचायत –लाखा में बसा है इन्होंने अपनी ई.आई.ए. में लिखा है कि 15000 टीपीडी क्षमता विस्तार को ये लोग डबल करना चाहते हैं तो इसमें व्यवसाय के अवसर भी डबल आ रहे हैं। इनके प्लांट में 245 मजदूर कुशल मजदूर उसमें से 30 प्रतिशत इन्होंने ई.आई.ए. में इन्होंने लिखा है। इनकी क्षमता स्पंज आयन की 1.15 है 245 है तो ये डबल होगा तो 500 होनी ही है तो मजदूरों के एक व्यवसाय के अवसरों के लिये जो दुगुनी प्रयास कर रहे हैं उसके प्रयास के लिये ताली चाहूंगा मैं साथियों से। इण्डक्शन फर्नेस लगा रहे हैं उसमें भी प्लेटिन, एम.एस.इंगाट्स, रोलिंग मिल इत्यादि बहुत व्यापक पैमाने पर अपने उद्योग का विस्तार कर रहे हैं। उस व्यापकता को देखते हुये हमें भयभीत नहीं होना है सुनील स्पंज आयरन तराईमाल, लाखा, चिराईपानी क्षेत्र में विस्तृत है। सुनील इस्पात का एम.डी. भी हमारे तरह एक इंसान है उसे हमें कन्वेश करना है कि ये हमारा पढ़ा लिखा आदमी है इसे योग्यतानुसार काम दिया जाये। हमारे कुछ साथी हैं पढ़े लिखे हैं कुशल हैं, अकुशल हैं मेरे पास लोग एक आशा से आते हैं कि प्लांट में, पंचायत में नौकरी लगवा दीजिये। मैं लगभग औसत में 15 लोग को महीने में नौकरी लगवाता हूँ। उनकी जो क्वालिफिकेशन है उससे वे ऊंचे पद चाहते हैं तो यह संभव नहीं हो पाती है यही विडम्बना रहती है उद्योगों के पास। उसके लिये उद्योग वाले अलग से व्यवस्था करने की बात करते हैं। मैं साल 2005 से 2010 तक सिंगल इंटरप्राइजेस में काम किया। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर का 03 साल का कोर्स किया है। सिंगल वालों ने मुझे 1800 रुपये वेतन प्रतिमाह दिया था जो कि 03 साल में 11200 रुपये हो गया था। प्लांट वाले मौका देते हैं कि कुछ करके दिखाओ प्लांट वाले भी काम के अनुसार दाम देते हैं। उद्योग वाले शोषण नहीं करते शासकीय नौकरी नहीं मिलते तो प्लांट में नौकरी करके हम गुजारा करते हैं अगर प्लांट नहीं रहते तो हम एम दूसरे को नॉच के खाते रहते जितना जनसंख्या है हमारे देश का रोजगार के अवसर कम है और मंहगाई इतनी कम है। लोग बोल रहे हैं मंहगाई बढ़ गई पर वे यह नहीं जानते कि मंहगाई क्यों बढ़ रहा है। मैं गांव में राशन बांटता हूँ 527 राशनकार्ड हैं, 527 राशनकार्ड में से बीपीएल राशनकार्ड 400 हैं उनसे चावल का पैसा नहीं लेना है तो ये चावल आई कहां से। हमारे स्थापित उद्योगों के टैक्सेस से ही ये राशन बीपीएल कार्ड वालों को मुफ्त में

दिया जा रहा है। अर्थव्यवस्था में इनका योगदान 70 प्रतिशत का है। मेरे छोटे भाई लोग यहां आये बोले कि फैंक्ट्रिया कुछ काम नहीं करती हैं परन्तु फैंक्ट्रिया इनता काम करती हैं कि मेरे दिमाग में डाटा फिट नहीं हो सकता। मैंने 05 साल तक लगातार खनिज शाखा से सीएसआर की जानकारी मंगवाई पहले मुझे लगा ये फर्जी रिपोर्ट है फिर अवलोकन किया तो पता चला कि उसमें से ज्यादातर काम मैंने ही उद्योग वालो को कहकर करावाया था कि आज उस स्कूल में वो बना दो, बंजारी मंदिर में ये चीज बनवा दो कहके। मेरा परिवार स्वयं के प्रगति के बारे में न सोचकर समाज के प्रगति के बारे में सोचता है। बंजारी मंदिर का यहा प्रांगण भी मेरे दादाजी के परिवार द्वारा दान दिया गया है। हाई सेकेण्ड्री स्कूल तराईमाल में सीएसआर मद में माननीय कलेक्टर महोदय के अनुशंसा में हमारे आवेदन में 27, 27, 60, में हाई एवं हाई सेकेण्ड्री स्कूल बन रहे हैं। उनके द्वारा स्लाईडर, टाईल्स लगवाया जायेगा जो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे बना रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी ये मदद करते हैं प्रिंटर मांगे तो दिये। पिछला एन.आर. का जनसुनवाई था उनसे मैंने कहा कि स्कूल में आ.ओ. लगवाना है उन्होंने वहां आ.ओ. लगवा दिया। हमारे यहां डस्ट ज्यादा है ऐसा लोग बोलते हैं, तो मैंने उद्योग के अन्दर में काम किया है वहां ईएसपी लगा रहता है जो कि एक डस्ट कंट्रोल इक्युविपमेंट हैं। मैं बीच बीच में ईएसपी का रीडिंग करता था और जब ईएसपी नहीं चल रहा होता था तो मैं संबंधित अधिकारी को बता था कि आपके यहां ईएसपी नहीं चल रहा है तो वे बोलते थे मेंटनेंस के कारण नहीं चल रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इनका योगदान रहता है हमारे यहां ट्रामा सेंटर बनाये हैं। एन.आर. के बारे में बात करना चाहूंगा रोजगार के बारे में जितना क्षमता विस्तार करते हैं उतने ही लोगों को रोजगार दे रहे हैं। रोड की जर्जर स्थिति के लिये लोग कंपनी को जिम्मेदार ठहराते हैं परन्तु कंपनी द्वारा जितना टैक्स दिया जाता है उससे गरीब को चावल न देकर गरीब को स्वालम्बी बनाकर उसका प्रयोग रोड बनाने में किया जाये तो स्वर्ण का लेयर बिछा सकते हैं इतना पैसा है टैक्स में यहां पर। निर्धन्य कन्या विवाह में भी यह योगदान देते हैं किसी के दशकर्म के लिये भी योगदान देते हैं सहयोग करते हैं कि धन्यवाद कह दूं तो मेरे लिये कृतघ्नता की बात होगी। मैं सुनील इस्पात का अपने 16 पंचों की सहमति लाया हूं जो कि जमा कर रहा हूं साथ ही मैं इसका समर्थन करता हूं।

771. देवचरण, चिराईपानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
772. अजय, – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
773. नोगेन्द्र – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
774. सुमित – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
775. सुधबीर सिंह – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
776. शाहिल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
777. लक्की – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।

778. बिनु दिवाकर – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
779. राजू, तराईमाल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
780. शुभम – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
781. आकाश – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
782. प्रदीप – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
783. राजू, तराईमाल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
784. कौशल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
785. देवेन्द्र – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
786. रवि – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
787. जय सिदार – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
788. सूरज, तराईमाल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
789. विकास, तराईमाल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
790. सागर, रायगढ़ – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
791. सौरभ – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
792. प्रकाश, रायगढ़ – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
793. शिवराज चौहान, रायगढ़ – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
794. मानस – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
795. अर्जुन – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
796. राहूल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
797. विकास – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
798. राजकुमार – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
799. कैलाश – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
800. कृष्णा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
801. संजय – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
802. अनुराग – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
803. विकास, लाखा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
804. हरप्रित सिंह – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
805. मधुसुदन, चिराईपानी – इस क्षेत्र में बहुत ही पर्यावरण का नुकसान हो रहा है यहां सघन उद्योगों का बसाया नहीं जाये। यहां जल, जंगल, जमीन का नुकसान हो रहा है इस संबंध में बहुत भाषण को चुका है।

मैं पर्यावरण का हितैशी होने के कारण मैं सुनील इस्पात का विरोध करता हूँ और प्रदूषण नियंत्रण में उनको नोटिस भेजा जाये मैं उनसे अनुरोध चाहता हूँ। जय हिन्द। जय भारत।

806. पप्पु डनसेना, चिराईपानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
807. नवीन, चिराईपानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
808. अर्जुन, चिराईपानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
809. शुभम, चिराईपानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
810. रघुराम – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है। मेरे कुछ लोग कह रहे थे हमे रोजगार नहीं मिल रहा है मैं उनसे पूछना चाहता हूँ रोजगार तो हर एक को मिल रहा है, जनसंख्या बढ़ा है किसी का दुकान चल रहा है, किसी का किराय का मकान चल रहा है, हर प्रकार से आदमी को सुविधा मिल रहा है रोजगार स्वयं से कर सकते हैं धन्धा करके, ठेकामिल रहा है बहुत से ऐसे काम मिल रहे हैं उनको प्लांट के आने से इसलिये मैं सुनील इस्पात का समर्थन करता हूँ।
811. प्रवीण, – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
812. प्रांजल – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
813. उदय, – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
814. जय डनसेना – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
815. रामकुमार, लाखा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
816. चंद्रराम, लाखा – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
817. कन्हैयालाल, – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
818. – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड कंपनी का जो विस्तार हो रहा है यहा बात समर्थन और विरोध की नहीं है। सरकार उद्योगों के माध्यम से रोजगार देने के लिये खुद आगे आ रही है। हमारे प्रधानमंत्री भी रोजगार को बढ़ावा देने शासकीय जगह में भी प्राईवेट सेक्टर में काम दे रहे हैं। शासकीय में किसी का सैलरी 50000 है तो उसे प्राईवेट में 05 आदमी को 10000 में रोजगार दिया जा रहा है इससे 05 परिवार को रोजगार मिल रहा है। रोजगार को बढ़ावा देने के लिये कंपनी का विस्तार किया जा रहा है। युवा काम करना चाहता है, तो काम मिलेगा आज के जमाने में 40 प्रतिशत युवा काम करना ही नहीं चाहते। यहा 56 प्लांट लगे हुये है लोगो को किसी ना किसी कंपनी से रोजगार मिल रहा है। स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिये रूपरेखा बनी है माननीय मुख्यमंत्री जी एवं जिलाध्यक्ष द्वारा नजर रखी गई है। जरूरी नहीं कि पर्यावरण अधिकारी या कलेक्टर यहां बैठे नहीं बैठेंगे फिर भी जानकारी वहां पहुंच रही है। स्थानीय लोग को न्यूनतम सरकारी दामों पर रोजगार मिले। इस कंपनी का मैं समर्थन करता हूँ। जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।

819. कैलाश बेहरा — मैं सुनील इस्पात को बधाई देना चाहता हूँ कि उनका जनसुनवाई सफल हो गया भले ही पैसे के दम पर सफल तो हुआ, भले ही लोगो के आवाज को दबाकर, किसानों के आवाज को दबाकर, बाहर से आदमी लाकर सफल तो हुआ। मैं इस जनसुनवाई कराने वाले कार्यक्रम का विरोध करता हूँ। हम 08 बजे से वहां बैठे थे कि आप आकर हमारी बात सुनेंगे लेकिन आप पीछे वाले रास्ते से आ गये मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद अनुचित रूप से समर्थन विरोध करने वालों को दूसरे रास्ते से लाया गया जिसमें न उनकी एन्ट्री हुई न थर्मल स्क्रीनिंग हुई सीधा आके समर्थन विरोध किये। यह एक धार्मिक स्थल है बंजारी माता का प्रांगण आप यहां जनसुनवाई का अड्डा बनाकर रखे हो यह उचित नहीं है। अगर आपको यही जनसुनवाई कराना है तो भवन बनवा दीजिये क्यों टैंट व बम्बू का खर्चा लगाते हैं एक बम्बू उखड़ नहीं पाता कि दूसरा जनसुनवाई आ जाता है यहां पर। सारे प्लांट मिलकर भवन बनवां दे यहां पर जिससे इसका नाम जनसुनवाई भवन रख दें आप। मैं अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ क्या सोच के यहां जनसुनवाई का एनओसी देते हैं क्या लाखा चिराईपानी के आस-पास खाली जगह नहीं है क्या प्लांट वहां जनसुनवाई नहीं करा सकता। यहां से प्लांट की दूरी 5.5 कि.मी. है वहां के निवासी समर्थन विरोध करने यहां पर कैसी आयेगी प्लांट या शासन इसके लिये कुछ व्यवस्था की। वोट होता है जो उसी ग्राम पंचायत का व्यक्ति ही वोट डालता है स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलना चाहिये बाहर से आये लोगों को ऐसे ही घुसा दें रहें हैं कोई बिहार, उ.प्र., झारखण्ड से आया है जो यहां काम करने आया है उसको समर्थन करा दिया जा रहा है ये तो गलत है। तराईमाल में स्थानीय लोगों से ज्यादा बाहर के लोग हैं मैं ये नहीं कहता कि वे हमसे अलग हैं वे हमारे ही देश के नागरिक हैं हम यहां रहते हैं हमारा घर है यहां पर हमारा अधिकारी पहले है उनको पैसे के दम पर समर्थन दिलाने लाया जा रहा है यहां ज्यादा प्रदूषण होगा तो वे कहीं और स्थानांतरित हो जायेंगे हमारा घर है यहां पर हम कहां जायेंगे। हमारे शुभम मालाकार जी का 10 एकड़ खेती है यहां पर लेकिन वो जमीन बंजर पड़ी है सर। इस जनसुनवाई में धांधली हो रहा है, किसानों, युवाओं के आवाज को दबाने का किसानों के जमीन को बंजर बनाने का, महिलाओं के आवाज को दबाने का, फसलों को नष्ट करन का इन सभी के समर्थन विरोध का सौदा किया जायेगा। आपलोग और अन्य लोग भी पीछे के रास्ते से आये हैं इससे स्पष्ट हो रहा है कि धांधली हुई है। इस जनसुनवाई को निरस्त कीजिये। सुनील इस्पात का जनसुनवाई का एनओसी देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि आपको इस क्षेत्र के लोगों से कोई मतलब नहीं है आपको अपने सम्मान से मतलब है। आपको किसान, बेरोजगार, बच्चों एवं महिलाओं से मतबल नहीं है आपको उद्योगपतियों से मतलब है। अगर आपको चिन्ता होती तो लाखा और चिराईपानी के युवा आय दिन श्रम विभाग, कलेक्ट्रेड, पर्यावरण विभाग के चक्कर काट रहें हैं आपको सुनाई नहीं देता क्या सर, अपना चप्पल धिस रहें हैं सर उनका तो सुन लेते सर। प्रदूषण इतना है कि पैर जम जाता है प्रदूषण का पता नहीं क्यों अधिकारी नहीं देख पाते इस चीज को। अपने ई.आई.ए. में लिखते हैं स्थानीय लोगों को बेरोजगार देंगे लेकिन उस क्षेत्र के 10 प्रतिशत लोगों को भी रोजगार नहीं दियें हैं। सन् 2000 के बाद प्लांट बसना चालू हुआ लोग बाहर से आये झारखंड, बिहार, उ.प्र. से अब ये झारखंड बन

गया है उनको हम यहां के नागरिक द्वितीयक श्रेणी में मानेंगे प्राथमिक श्रेणी में नहीं मानेंगे। जो सन् 2000 से पहले बसे हैं वो प्राथमिक श्रेणी में आयेंगे उनको रोजगार दीजिये। रायगढ़ में सुधर रायगढ़ लिख के रखे हो कोई मतलब नहीं है उसका। प्लांट वाले तो लग्जरी गाड़ी में घूमते हैं आप यहां से बाईक में रायगढ़ जाईये आपके परिवार के लोग आपको पहचान नहीं पायेंगे। समर्थन विरोध का इतना धांधली चल रहा है प्लांट का नाम नहीं पता सुनिल भैया को समर्थन बोलते हैं। आपको बोलना चाहिये क्यों समर्थन है क्यों विरोध पहले अपनी बात रखें फिर समर्थन विरोध नोट करें लेकिन आपको क्या मतलब है। प्रदूषण के कारण इतने वनस्पति नष्ट हो चुके हैं रिकॉर्ड नहीं है सरकार के पास यहां के सभी जंगली जानवर पलायन रक रहें हैं धीरे-धीरे उससे मतलब नहीं सरकार को। उनको बस उद्योगों के विकास के मतलब है। आपका ईआईए रिपोर्ट पढ़ा मैंने पूरी से फर्जी है, फोटोकॉपी है। आप बोलते हो प्रदूषण नहीं होगा तो जो पत्तियों में काला डस्ट है वो तो हमारे घर से निकलता है? जिनको मवेशी खाते है उनका दुनियाभर का रोग लगता है। रोड के किनारे से जो डस्ट है वो तो हम लोग ले के रख देते हैं? उसमें प्लांट का कोई योगदान नहीं है। कच्चे माल व डस्ट को ट्रक में ढककर ले जाते हैं, दिन में मैं 40 ट्रक देखता हूं जो बिना ढके जाते हैं वो क्या हमारे घर के डस्ट को लेकर जाते हैं? आज तो आपलोग पैसे के दम पर जनसुनवाई करवा लिये। अभी तक 818 लोग बोल चुके हैं इसमें 800 मान लीजिये समर्थन है काफी खर्चा किये हो सर। 18 लोग का विरोध है। लगभग 750 लोगों को पता ही नहीं होगा कि किस प्लांट का जनसुनवाई है कि पैसे लेकर आये हुये लोग थे। आय दिन रायगढ़ से घरघोड़ा-तमनार रोड पर एक्सीडेंट होते हैं हम ही करवाते होंगे एक्सीडेंट? प्लांट का तो उसमें कोई योगदान नहीं है इसमें। आप कहते हो आर्थिक स्थिति में सुधार होगा रोजगार कि संभावनायें बनेंगी, मेडिकल चेकअप होगा, स्थानिय को प्राथमिकत मिलेंगी, समाज कल्याण के लिये अलग से बजट आमंत्रित किया जायेगा, गलत बोलते हो आप केवल आपका आर्थिक स्थिति सुधरेगा, आपके तिजोरी में पैसा जायेगा। स्थानिय व्यक्ति केवल मजबूर होगा अपना स्थान, घर छोड़ने के लिये। रोजगार बाहरी व्यक्ति को मिलेगा, मेडिकल बाहरी व्यक्ति का होगा। सन् 2000 से तराईमाल क्षेत्र में उद्योग है आज तक मेडिकल चेकअप का नाम नहीं सुना। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक नहीं है, अभी खुल रहा होग अलग बात है वो। रही बात बाद में बजट आमंत्रित करने का वो लाखा चिराईपानी के किसान सब्जी लेकर आयें हैं उनके सब्जि नष्ट हो जा रहें हैं उनको तो देखें, बजट छोड़िये क्या कर लीजियेगा बजट लेकर के। स्कूल खुलने से कुछ नहीं होगा सर शिक्षक होने चाहिये। सीएसआर मद से शिक्षक का व्यवस्था नहीं कर पाये ऐसे करेंगे विकास। प्लांट स्थापित होने के बाद सबसे बड़ा मुद्दा होता है मजदूरों के सेपिट का लेकिन प्लांट पैसा बचाने के लिये बिना सेपिट शू, बेल्ट व हेलमेट के काम कराता है। इसके वजह से सिंघल जैसे प्लांट में हर हफ्ते 03 एक्सीडेंट होता है लेकिन उससे मतलब नहीं है सरकार को उसे पैसे से मतलब है। मैं अभी ज्ञापन दिया था सिंघल के खिलाफ उसके बाद 4-5 एक्सीडेंट हो गया सिंघल में। सिंघल इनर्जी में जो फर्नीस फटा था जिसमें 5-6 मजदूर घायल हो गये थे जब मैंने उनसे बात की तो पता चला कि ये घटना भी सेपिट इशू के कारण ही हुई है लेकिन आपको इससे क्या। सुनिल

इस्पात का गार्ड तक चप्पल से गेट खोलता है अन्दर की स्थिति के बारे में क्या ही बोलूं। बदनाम प्लांट है उसके बाद भी पैसे के दम पर जनसुनवाई करवा लिये धन्यवाद है आपको। जनसुनवाई के बाद भी युवाओं का परिश्रम जारी रहेगा आपके खिलाफ हम आर्थिक नाकाबंदी की घोषणा करते हैं इसी के साथ मैं इस प्लांट का घोर विरोध करते हुये अपनी वाणी को लगाम देता हूं।

820. कान्हराम गुप्ता, लाखा – आज हम लोग जनसुनवाई स्थल में धरना प्रदर्शन किये थे जनसुनवाई हुआ तो उसका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ इस छायाप्रति प्रदान करने की अनुरोध करता हूं। तो उस पर क्या कार्यवाही हुई हम जानना चाहते हैं। हम लोग गांव में रहने वाले हैं।
821. नटराज डनसेना – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
822. राजू – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
823. रंगलाल डनसेना, चिराईपानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
824. राधेश्याम, चिराईपानी – मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड का समर्थन है।
825. सेवकराम डनसेना, चिराईपानी – यहां जितने भी प्रदूषण हो रहे हैं जितने भी आस पास के कंपनियों जिम्मेदार है आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्रदूषण जिसको हम लोग दण्डस्वरूप झेल रहें उससे हमें मुक्ति दिलायें। मैं सर विकास का विरोधी नहीं हूं। मैं मानता हूं कि फैक्ट्रि के आने से विकास भी होता है और विनाश भी होता है विकास के साथ-साथ विनाश को बढ़ावा ना दे क्योंकि उनको यहीं रखना है यही जीना है तो मैं विकास की एक अपेक्षा रखते हुये मैं सुनील इस्पात का समर्थन करता हूं।
826. भोजराम भट्ट, गोरवानी – मेरे को कंपनी के विरोध और समर्थन से कोई मतलब नहीं है पिछला बार एनआरव्हीएस के समय आया था सुझाव दिया था अभी भी सुझाव दे रहा हूं कि रोड में जिस प्रकार धूल डस्ट है पर्यावरण में गंदगी है उससे कुछ निसात हो पानी छिड़काव हो हमारे एरिया में।
827. सरोज गुप्ता, लाखा – 03 जनवरी 2008 को जब केलो डूबान प्रारंभ हुआ उसको बनते बनते 5-6 साल लग गया। 2012 में पूरा हुआ तो पुराना लाखा को विस्थापन कर नया लाखा बनाया गया। नया लाखा मेसर्स सुनील इस्पात के पास स्थित किया गया। उस कारणवश हम लोग को तकलीफ हो रहा है, डस्ट हो रहा है, आज उसी कारणवश किसान भाई, युवाभाई, महिला विरोध दर्ज कर रहें हैं सड़क के किनारे बैठे हैं उनको मैं तहेदिल से स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं एवं उनका मान सम्मान रखने के लिये यहां दो शब्द बोल रहा हूं। लाखा के कोई भी लोग बंजारी मंदिर में 29 जनसुनवाई हो गया कि इतना तादात में समर्थन या विरोध करने नहीं आये थे। आज उनको तकलीफ हुआ जो भी सब्जी उत्पादन कर रहें हैं उसमें काला डस्ट जमा हो रहा है इस कारण उन्हें तकलीफ हुआ है उस कारण वे लोग सुबह से आज बैठे हैं मैं उनको आश्वासन देता हूं जो 13 सूत्रीय मांग है जो जायज है उनको मैं उद्योग प्रबंधन से या माननीय कलेक्टर महोदय या एसडीएम महोदय या तहसीलदार महोदय से या हमारे क्षेत्र के थाना प्रभारी से कि जो जायज मांग है उसको पूरा करें। मैं मेसर्स सुनील इस्पात का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। हमारे क्षेत्र में उद्योग आयेगा तभी हमारा विकास होगा, विकास तभी होगा जब वहां के बेरोजगार को रोजगार मिलेगा जो दिशा से भटक रहा है। हमारा क्षेत्र दारू क्षेत्र है जब से केलो डूबान बना है लाखा में कोई रोजगार नहीं है,

हफ्ते में 08 दिन नदी किनारे बस शराब बनता है इसका शिकायत मैं 2012 से 2021 तक करते आ रहा हूँ उनका कोई सुनवाई नहीं होता। हमारे यहां अगर पढ़े लिखे नौजवान हैं को आश्वासन दिलाता हूँ जो रोजगार मुहैया हो मैं दिलाऊंगा और मैं फैक्ट्री प्रबंधन से आग्रह करूंगा यथाशक्ति जितना उनको जानकारी हो अगर नहीं जानते हो तो उनका प्रशिक्षण हो उनको अच्छा रोजगार देंगे और हमारे लाखा और चिराईपानी में जो भी दुख सुख हो उन सबमें सहभागी उद्योग प्रबंधन निभायेंगे। हम उद्योग के साथ हैं उद्योग हमारे साथ है हम सब मिलकर ही विकास कर सकते हैं। यहां विकास और विनाश दोनो होगा विकास ज्यादा करें विनाश कम करें। बात पर्यावरण की है तो ई.एस.पी. को चालू करें डस्ट न फैलायें इसके लिये पूरा गांव समर्थन है और आज विरोध कर रहे हैं तो केवल डस्ट के लिये विरोध कर रहे हैं। 29 जनसुनवाई में न समर्थन करने आये हैं न विरोध करने। वे लोग गांव के किसान, युवा, महिला हैं आज तक 29 जनसुनवाई में न समर्थन करने आये हैं न विरोध करने बंजारी मंदिर में आज आये तो उनका दुख तकलीफ और उनका 13 सूत्रीय मांग अगर पूरा हो जाता है तो वे लोग कभी विरोध नहीं करेंगे। उनको पैसे का लालच नहीं है क्योंकि केलो डूबान में सबको मुआवजा मिला है। हमारे यहां उद्योग आयेगा तो 35 वर्ष पहले केला डेम है 35 वर्ष से कोई उद्योग नहीं लगे लाखा पंचायत में पहला उद्योग है जो हमारे, वो भी लाखा में नहीं है हमारे आश्रित ग्राम चिराईपानी में लगा हुआ है क्योंकि लाखा का 600 एकड़ जमीन केलो जलाशय में है वहां केवल पानी है व मछली है। मछली से हमारा जीवन यापन चलेगा तो माननीय पीठासीन एव क्षेत्रीय अधिकारी महोदय से अनुरोध करता हूँ वहां हमें नाव दें, हमें जाल दें। हमारे किसान और युवा भाई हैं वों अब मछुआरे का काम करें। किसानी नहीं हो सकता लाखा में क्योंकि किसी का जमीन नहीं बचा वहां पर जो भी बचा है 15, 10, 7 डिसमिल बचा है वो मकान बनाने के लिये है। मकान बना के निवासरत हैं। मैं वहां का माल गुजार गौंटिया हूँ लेकिन मेरा जमीन उसमें डूबा तो मैं इस क्षेत्र में जमीन नहीं खरीदा क्योंकि मैं जान रहा था इस आस पास में उद्योग लग रहा है इसलिये मैं पुसौर ब्लॉक में जमीन खरीदा मैंने वहां पे धान, चावल, गोभी जो भी साग सब्जि जो भी खेती धान, गेहूँ है वहां से मैं उत्पादन कर रहा हूँ वहां से मैं उत्पादन कर रहा हूँ। वहां से मेरा भरण पोषण हो रहा है मेरे को उद्योग से कोई विरोध नहीं है मैं उद्योग का समर्थन करता हूँ। आज तक किसी उद्योग का विरोध नहीं किया सभी उद्योगों का समर्थन करता हूँ। जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।

828. पंचराम मालाकार, तराईमाल – बहुत खुशी का बात है सुनील इस्पात द्वारा चिराईपानी और लाखा के बीच उद्योग लगाया जा रहा है जिसका विस्तार क्षमता अधिक से अधिक हो। मैं इनका भरपूर सहयोग करता हूँ समर्थन करता हूँ क्यों हमारे ग्राम तराईमाल के आस-पास 7-8 फैक्ट्रियां खुला हुआ है उनके सहयोग से मां बंजारी मंदिर का विकास जीर्णोद्धार अभी 25 लाख का बंजारी मंदिर में झांकियां बनाई जा रही है सब फैक्ट्रियां द्वारा ही सहयोग किया जा रहा है उन्ही के माध्यम से यहां विकास हो रहा है और हमारे ग्राम तराईमाल में सिंघल फैक्ट्री द्वारा श्मशान घाट का चारों तरफ बाउण्ड्रीवॉल करवाया गया है एवं नलवा द्वारा सीएसआर से हाई सेकेण्ड्री स्कूल का भवन चालू है एवं बी.एस. स्पंज द्वारा 45 लाख का हायर सेकेण्ड्री स्कूल बनवाया जा रहा है हमारे गांव में मात्र 5वीं तक ही स्कूल था धीरे-धीरे हम लोग के सहयोग से हायर सेकेण्ड्री 12वीं तक के बच्चे मध्ययन कर रहे हैं। मैं कलेक्टर महोदय से एवं पर्यावरण अधिकारी महोदय से अनुरोध करता हूँ सड़क में जितने भी वाहन चलती है कोयला और डस्ट लेके जाते हैं उसमें

त्रिपाल ढकवाने का कृपा करें एवं ग्राम लाखा से बंजारी मंदिर तक रोड अबड़ खबड़ है कृपया शीघ्र उसे बनवाने का कष्ट करें। मैं सुनिल इस्पात का भरपूर समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

829. प्रकाश त्रिपाठी, रायगढ़ - आज मुझे इतनी जनसुनवाई होते हुये मैं सबसे बड़ी मुझे खुशी की बात यह हुई कि आज पहली बार समस्त जनता और अधिकारीगण भी श्री माताजी मां बंजारी के प्रथम द्वारा से होकर के माताजी के चरणों के दर्शन करते हुये इस जगह पर पहुंचे हैं इस बात का सबसे बड़ा मुझे सुख है और आईदा भी मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करूंगा की जब भी जनसुनवाई हो तो वो पिछले द्वार से नहीं प्रथम द्वार से हो। आज पहली बार प्रथम द्वार से जनसुनवाई का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। कहते हैं उद्योगों दरिद्र नाशते: जहां भी उद्योग या कामधंधा होगा वहां पर दरिद्र विनाश हो जायेगा। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र में जो सुनिल इस्पात जैसी प्लांट लगी है और अपना विस्तार कर रही है तो निश्चित ही इस क्षेत्र का विकास होगा और विकास होगा तो विनाश भी निश्चित है क्योंकि जिस तरह दिन है उसी तरह रात है, सुख है तो दुख है तो उसका साथ लगा रहेगा तो मेरा फैक्ट्री प्रबंधन से निवेदन है कि वो वृद्धि के साथ में विनाश को कम करने का प्रयास करेंगे और हमारे क्षेत्र का, गांव का विकास ही विकास करने का प्रयास करेंगे और उनसे मेरा निवेदन है कि हमारा गांव एक ग्रामीण माने डूबा हुआ स्थान है पुर्नवास वाला जगह है हमारे यहां किसी के पास खेती पाती अन्ध साधन नहीं है तो हम रोजगार पर ही आधारित हैं तो इसलिये हमारे क्षेत्र के युवाओं की जो आवाज है जो उनको काम की आवश्यकता है या जो कुछ किसान काम कर रहे हैं उनको जो परेशानी जा रही है डस्ट, धूल से उसको कम करेंगे और क्षेत्र में शिक्षा के प्रति विकास की व्यवस्था करेंगे और इन फैक्ट्रियों से प्रदूषण होने के साथ साथ बीमारियां बहुत बढ़ रही है तो फैक्ट्री प्रबंधन से निवेदन है कि वो स्वास्थ्य की विशेष व्यवस्था करेंगे जैसे एम्बुलेंस, कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल इसकी व्यवस्था करेंगे और विकास की सबसे प्रथम सीढ़ी है रोड और आज रायगढ़ का रोड सबसे खराब है तो समस्त फैक्ट्री प्रबंधनों से निवेदन है कि वो रोड को सुधार करने की प्रथम व्यवस्था करें उससे उनका भी व्यापार बढ़ेगा और आम जनता भी प्रभावित नहीं होगी, एक्सीडेंट नहीं होंगे जो अकाल मृत्यु हो रही है, अकाल मृत्यु एक का होता है लेकिन उसके पीछे 20 परिवार परेशान उससे बचाव होगा और हमारे के युवक लोग अपनी कुछ मांग रखें हैं उसमें जो उचित मांगें हों उनकी पूरा करने का हमारी फैक्ट्री प्रबंधन व्यवस्था करेगा मुझे आशा और उम्मीद है और हां एक बात और ये फैक्ट्रियों का नहीं मैं प्रशासन का विरोध कर रहा हूँ कि हमारा लाखा को जो पुर्नवास में बैठाया गया है उसमें हमारे कलेक्टर महादेय या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी गलती है क्यों फैक्ट्री तो पहले से स्थापित थी तो वो जानते थे इस लाखा में डस्ट होगी तो हमको उस जगह क्यों बैठाया गया हमें कोई अन्यत्र जगह बैठाया जाता तो मैं निवेदन करता हूँ प्रशासन से कि हमारे लाखा को अन्यत्र विस्थापित करके उस जगह को पूरी सुनिल फैक्ट्री को दे दी जाये जिससे वो विकास करे खूब उन्नति करे इसी के साथ समय ज्यादा हो गया है मैं अपनी बात फैक्ट्री प्रबंधन से मिलकर रख लूंगा मेरे घर की फैक्ट्री है मेरे गांव की फैक्ट्री है मतलब मेरे घर की फैक्ट्री है बाद में बात करूंगा। जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बोलो बंजारी मैया की जय।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि यदि कोई ग्रामीणजन, आस-पास के प्रभावित लोग अपना पक्ष रखने में छूट गये हो तो मंच के पास आ जाये। जनसुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। उन्होने पुनः कहा कि कोई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधी छूट गये हो तो वो आ जाये। इस जन सुनवाई के दौरान परियोजना के संबंध में बहुत सारे सुझाव, विचार, आपत्ति लिखित एवं मौखिक में आये है जिसके अभिलेखन की कार्यवाही की गई है। इसके बाद 05:20 बजे कंपनी के प्रतिनिधि/पर्यावरण कंसलटेंट को जनता द्वारा उठाये गये ज्वलंत मुद्दो तथा अन्य तथ्यों पर कंडिकावार तथ्यात्मक जानकारी/स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया।

कंपनी कंसलटेंट श्री सुधीर सिंह द्वारा बताया गया कि क्षमता विस्तार में जो प्रदूषण की बात हुई थी जिसके तहत ई.एस.पी. लगाया जायेगा, बैग फिल्टर लगाया जाना प्रस्तावित है, जल संरक्षण के लिये ऐयर कुल कंटेनर लगायेंगे। दूषित जल के लिये हरित पट्टिका में उपयोग करेंगे। कंपनी से किसी भी प्रकार का दूषित जल नहीं निकलेगा। हमारे द्वारा 38000 ईट बनाने के लिये मशीन लगाया जायेगा जो पॉवर प्लांट से पलाई ऐश निकलेगा से उपयोग में लाया जायेगा। क्षमता विस्तार में हरित पट्टिका का विकास किया जायेगा आने वाले समय में 5500 नग और वृक्षारोपण किया जायेगा जिससे डस्ट परिसर में ही रहे।

सुनवाई के दौरान 30 अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये तथा पूर्व में 05 अभ्यावेदन प्राप्त हुये है। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई। लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया गया। तत्पश्चात सायं 5:45 बजे धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।


15/12/2021

(एस.के. वर्मा)

क्षेत्रीय अधिकारी

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़


15/12/21

(आर.ए. कुरुवंशी)

अपर कलेक्टर

जिला-रायगढ़ (छ.ग.)